16

जल संसाधन सम्बन्धी स्थायी समिति
(2021-22)

सत्रहवीं लोक सभा

जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

अनुदानों की मांगे (2022-23)

सोलहवाँ प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2022 / चैत्र , 1944 (शक)

सोलहवाँ प्रतिवेदन

जल संसाधन सम्बन्धी स्थायी समिति

(2021-22)

(सत्रहवीं लोक सभा)

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

अनुदानों की मांगें (2022-23)

23.03.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया

23.03.2022 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2022 / चैत्र , 1944 (शक)

डब्लू. आर. सी. स. 71

मूल्य: रुपये

© 2022 **लोक सभा सचिवालय**

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम (तेरहवां संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित और ------------------------ द्वारा मुद्रित ।

विषय-सूची

		पृष्ठ
समिति (2021-22) की संरचना		(iii)
प्राक्कथन		(v)
संक्षिप्ताक्षर		(vii)

प्रतिवेदन
भाग-एक
वर्णनात्मक विश्लेषण

एक.	प्रस्तावना	1
दो.	विभाग की भूमिका और जनादेश	1
तीन.	अनुदानों की मांगों का विश्लेषण	2
चार.	योजनावार विश्लेषण	3
(क)	जल जीवन मिशन (जेजेएम)	4
(एक)	जेजेएम के तहत घटक	4
(दो)	वास्तविक निष्पादन की तुलना में वित्तीय निष्पादन	5
(तीन)	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वित्तीय निष्पादन	7
(चार)	ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) के कवरेज की सीमा	8
(पाँच)	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र –वार कवरेज	11
(छह)	ग्राम कार्य योजना (वीएपी) और ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएमसी)	13
सात)	आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता देना	14
(आठ)	जापानी इंसेफेलाइटिस/एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम (जेई/एईएस) प्रभावित जिलों में नल जल कनेक्शन का प्रावधान	16
(नौ)	ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के दूषित होने का मुद्दा	16
(दस)	पेयजल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाएं	20
(ग्यारह)	ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय तथा आंगनवाड़ी केंद्र को पाइपगत जलापूर्ति	23
(बारह)	ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत भवनों, सामुदायिक केंद्रों, स्वास्थ्य केंद्रों, वेल नेस सेंटरों को पाइप से जलापूर्ति	25
(तेरह)	तृतीय पक्षकार निरीक्षण	27
(ख)	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	28
(एक)	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-1 के तहत प्रावधान	29
(दो)	एसबीएम(जी) चरण-II के तहत वित्तपोषण मानदंड	31
(तीन)	वित्तीय निष्पादन	33
(चार)	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)चरण-IIके लक्ष्यों को प्राप्त करने में चुनौतियाँ	35
(पाँच)	व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय (आईएचएचएल)	36
(छह)	सामुदायिक स्वच्छता परिसर (सीएससी)का निर्माण	37
(सात)	ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन(एस एल डब्ल्यूएम)	38
(आठ)	निगरानी तंत्र- सोशल ऑडिट	40
पाँच.	**सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) गांवों में किया गया कार्य**	41
	भाग-दो	42
	टिप्पणी/सिफारिशें	
I.	समिति की 21.02.2022 को हुई छठी बैठक का कार्यवाही सारांश	51
II.	समिति की 15.03.2022 को हुई आठवीं बैठक का कार्यवाही सारांश	54

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की संरचना

डॉ. संजय जायसवाल - सभापति

<u>लोक सभा</u>

2. श्री विजय बघेल
3. श्री भागीरथ चौधरी
4. श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी
5. इंजीनियर गुमान सिंह दामोर
6. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत
7. डॉ. के. जयकुमार
8. श्री धनुष एम. कुमार
9. श्री सुनील कुमार
10. श्री अकबर लोन
11. श्री कुरुवा गोरांतला माधव
12. श्री निहाल चन्द चौहान
13. श्री हँसमुखभाई एस. पटेल
14. श्री संजय काका पाटील
15. श्री पी. रविन्द्रनाथ
16. श्रीमती नुसरत जहां
17. कुमारी अगाथा के. संगमा
18. श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी
19. श्री चन्दन सिंह
20. श्री डी.के. सुरेश
21. श्री एस. सी. उदासी

<u>राज्य सभा</u>

22. सरदार बलविंदर सिंह भुंडर
23. श्री हर्षवर्धन सिंह डुंगरपुर
24. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा
25. श्रीमती मौसम नूर
26. श्री अरुण सिंह
27. श्री सुभाष चंद्र सिंह
28. श्री रेवती रमन सिंह
29. श्री प्रदीप टम्टा
30. रिक्त
31. रिक्त

सचिवालय

1. श्री एम् के मधुसूदन - संयुक्त सचिव
2. श्री खखाइ जाऊ - निदेशक
3. श्री आर. सी. शर्मा - अपर निदेशक
4. श्री सतीश कुमार - समिति अधिकारी

<u>प्राक्कथन</u>

मैं, जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2021-2022) का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग) की अनुदानों की मांगों (2022-2023) के संबंधी सोलहवाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331ड. (1) (क) के अंतर्गत अनुदानों की मांगों की जांच की गई है ।

3. समिति ने 21.02.2022 को जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग) के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया।

4. समिति ने 15.03.2022 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया ।

5. समिति जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग) के प्रतिनिधियों को विषय की जांच के संबंध में अपेक्षित लिखित सामग्री प्रदान करने तथा मौखिक साक्ष्य देने के लिए धन्यवाद देती है ।

6. समिति ने उससे संबध लोक सचिवालय के अधिकारियों द्वारा प्रदान की गयी सहायता के लिए भी आभार व्यक्त करती है ।

नई दिल्ली;
<u>15 मार्च, 2022</u>
24 फाल्गुन, 1943

डॉ. संजय जायसवाल
सभापति,
जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति

संक्षिप्ताक्षर

एईएस	तीव्र इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम
एपीएल	गरीबी रेखा से ऊपर
बी ई	बजट अनुमान
बी पी एल	गरीबी रेखा से निचे
सीएससी	सामुदायिक स्वच्छता परिसर
डी ए ई	परमाणु ऊर्जा विभाग
डी डी पी	मरुस्थल विकास कार्यक्रम
डी डी डब्ल्यू एस	पेयजल और स्वच्छता विभाग
डी ओ डब्ल्यू आर, आर डी & जी आर	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
डी पी ए पी	सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम
डी डब्ल्यू एस एम	जिला जल और स्वच्छता मिशन
ई बी आर	अतिरिक्त बजट संसाधन
ई एफ सी	व्यय वित्त समिति
एफ एफ सी	चौदहवां वित्त आयोग
एफ एच टी सी	कार्यात्मक घरेलु नल कनेक्शन
एच ए डी पी	पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम
आई ई सी	सूचना, शिक्षा एवं संचार
आई एच एच एल	वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय
आई एम आई एस	समेकित प्रबंधन सूचना प्रणाली
जे ई	जापानी इंसेफ्लाइटिस
जे जे एम	जल जीवन मिशन
जे एस ए	जल शक्ति अभियान

एन जी ओ	गैर सरकारी संगठन
एन आई टी आई	नेशनल इंस्टीटूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया
एन आर डी डब्ल्यू पी	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम
एन डब्ल्यू क्यू एस एम	राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप मिशन
ओ डी एफ	खुले में शौच मुक्त
पी एफ एम एस	सार्वजानिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली
पी डब्ल्यू एस	पाइप्ड जलापूर्ति
एस ए जी वाई	संसद आदर्श ग्राम योजना
एस बी एम (जी)	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
आर ई	संशोधित अनुमान
एस एल डब्ल्यू एम	ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन
एस वी एस	एकल ग्राम योजना
एस डब्ल्यू एस एम	राज्य जल और स्वच्छता मिशन
जी पी	ग्राम पंचायत
वी ए पी	ग्राम कार्य योजना
वी ओ	स्वैच्छिक संगठन
वी डब्ल्यू एस सी	ग्राम जल स्वच्छता समिति

प्रतिवेदन

भाग एक

वर्णनात्मक विश्लेषण

एक .प्रस्तावना

मई 2019 में, दो मंत्रालयों, अर्थात जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय और पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय को मिलाकर जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया था। इस मंत्रालय का गठन पिछले कुछ दशकों में देश द्वारा सामना की जा रही बढ़ती जल चुनौतियों के प्रति भारत की गंभीरता को दर्शाता है। जल शक्ति मंत्रालय में दो विभाग शामिल हैं, अर्थात् जल संसाधन , नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग और पेयजल और स्वच्छता विभाग।

1.2 इस प्रतिवेदन का उद्देश्य वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा की गई अनुदान मांगों (संख्या 63) की जांच करना है।

1.3 जल शक्ति मंत्रालय में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, भारत सरकार की केंद्रीय प्रायोजित दो महत्वपूर्ण योजनाओं अर्थात् ग्रामीण स्वच्छता के लिए स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी) और ग्रामीण पेयजल आपूर्ति हेतु जल जीवन मिशन (जेजेएम) के लिए समग्र नीति, आयोजना, वित्तपोषण तथा समन्वयन हेतु नोडल विभाग है।

दो . विभाग की भूमिका और जनादेश

1.4 भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 के अनुसार, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की भूमिका इस प्रकार है:

i. ग्रामीण जल आपूर्ति (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार विभाग को सौंपे गए जल आयोजना और समन्वय कार्य के समग्र राष्ट्रीय परिदृश्य के अधीन रहते हुए), ग्रामीण क्षेत्रों में सीवर व्यवस्था, ड्रेनेज और स्वच्छता; इसक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और तकनीकी सहायता;
ii. सार्वजनिक सहयोग, जिसमें स्वयंसेवी एजेंसियों से संबंधित विषय उस सीमा तक शामिल हैं जहां तक उनका संबंध ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण जल आपूर्ति, सीवर व्यवस्था, ड्रेनेज और स्वच्छता से है;
iii. इस सूची में उल्लिखित मदों से संबंधित सहकारिताएं;
iv. पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं से संबंधित मामले और शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के अधीन आने वाले मुद्दों के संबंध में समन्वय।

1.5 पेयजल एवं स्वच्छत विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की स्थिति में सुधार लाने के राज्यों के प्रयासों को अनुपूरित करने के लिए उन्हें तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह समय-समय पर दिशानिर्देश, एडवायजरी, तकनीकी मैनुअल जारी करता है तथा एकीकृत प्रबंधन

सूचना प्रणाली (आईएमआईएस), स्वतंत्र जांच एजंसियों के माध्यम से बैठकों, क्षेत्र दौरों, सर्वेक्षणों आदि के माध्यम से प्रगति की निगरानी करता है।

तीन. अनुदानों की मांगों का विश्लेषण

1.6 पेयजल और स्वच्छता विभाग को वर्ष 2022-23 के लिए 67,221.12 करोड़ रुपये का कोष आवंटित किया गया है।इसमें 2021-22 के बजट अनुमान की तुलना में 16,190.22 करोड़ रुपये(31.72%) और 2021-22 के संशोधित अनुमान से 7190.67 करोड़ रुपये (11.98%) की वृद्धि हुई है ।वर्ष 2021-22 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजटीय आवंटन का योजनावार विवरण निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	केंद्र प्रायोजित योजनाएं	2021-22		2022-23	)22-2021बीई) की तुलना में -2022 में 23 वृद्धि%
		बजट अनुमान (बीई)	संशोधित अनुमान (आरई)	बजट अनुमान (बीई)	
1.	जल जीवन मिशन (जेजेएम)	50011.00	45011.00	60000.00	19.97 %
2.	स्वच्छ भारत मिशन- -एसबीएम) ग्रामीण (जी	9994.10	6000.00	7192.00	(-)28.03 %
	कुल बजट (योजनाएं)	60005.10	51011.00	67192.00	11.98 %
केन्द्रसचिवालय का स्थापना व्यय-		25.35	25.90	29.12	14.87 %
कुल योग (योजना सचिवालय +)		**60,030.45**	**51,036.90**	**67,221.12**	11.98 %

1.7 पिछले पांच वर्षों के दौरान विभाग द्वारा इन दो प्रमुख कार्यक्रमों अर्थात् जल जीवन मिशन (जेजेएम) एवं 'स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)' के संबंध में किए गए कार्य का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए कहे जाने पर ,विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:-

"एसबीएम(जी)दिनांक 02 अक्तूबर, 2014 को एसबीएम(जी) का शुभारंभ किया गया था जिसका मुख्य उद्देश्य सभी ग्रामीण परिवारों को शौचालय की सुविधा प्रदान करके देश के ग्रामीण क्षेत्रों को 2 अक्तूबर, 2019 तक खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) बनाना था। अत:, 2019-20 तक मुख्य ध्यान व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों (आईएचएचएल) पर केंद्रित था। इस अवधि के दौरान, 10 करोड़ से अधिक

आईएचएचएल का निर्माण किया गया और देश में सभी गांवों ने 2 अक्तूबर, 2019 तक स्वयं को ओडीएफ घोषित कर दिया। ओडीएफ के परिणाम हासिल करने के पश्चात्, एसबीएम(जी) चरण-II का 2020-21 से शुभारंभ किया गया जिसका मुख्य जोर ओडीएफ स्थिति को बनाए रखना तथा ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन व्यवस्थाओं वाले सभी गांवों को 2024-25 तक कवर करना अर्थात् गांवों को ओडीएफ से ओडीएफ प्लस में बदलना था। वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक (07.02.2022 की स्थिति के अनुसार) की अवधि के दौरान विभिन्न घटकों संबंधी प्रगति निम्नवत है:

आईएचएचएल की संख्या	सामुदायिक स्वच्छता परिसरों की संख्या	ठोस कचरा प्रबंधन व्यवस्थाओं से कवर किए गए गांवों की संख्या	तरल कचरा प्रबंधन व्यवस्थाओं से कवर किए गए गांवों की संख्या
9,20,70,762	1,89,801	46,347	21,734

इसी प्रकार ,जल जीवन मिशन की घोषणा के समय, 18.93 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 3.23 करोड़ (17%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना दी गई थी। अभी तक, पिछले 29 महीनों में 5.73 करोड़ (29.69%) ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, आज की तारीख तक, देश में 19.28 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 8.96 करोड़ (46.48%) परिवारों के पास उनके घरों में नल जलापूर्ति होने की सूचना दी गई है। इसके अलावा, गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, पुदुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव में सभी ग्रामीण परिवारों को नल जल आपूर्ति उपलब्ध करा दी गई है। जल जीवन मिशन, पूर्ववर्ती राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत, के शुभारंभ से पहले प्रत्येक ग्रामीण बसावट में उचित दूरी पर पीने योग्य जल स्रोत उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जाता था। सूचित किए गए अनुसार, देश की 17.01 लाख ग्रामीण बसावटों में से, 77.90% आबादी वाली 13.22 लाख (77.67%) बसावटों में 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपीसीडी) से अधिक के आपूर्ति स्तर और 20.39% आबादी वाली 3.44 लाख (20.24%) बसावटों में तर्कसंगत दूरी पर स्रोतों के साथ 40 एलपीसीडी से कम के आपूर्ति स्तर के साथ पीने योग्य पेयजल उपलब्ध है तथा 1.71% आबादी वाली 0.35 लाख (2.08%) ग्रामीण बसावटों में पेयजल स्रोतों में जल गुणवत्ता समस्याएं होने की सूचना दी गई है।मार्च, 2017 में, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के भाग के रूप में राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप-मिशन (एनडब्ल्यूक्यूएसएम) शुरू किया गया था जिसे अब जल जीवन मिशन में शामिल कर दिया गया है ताकि देश में आर्सेनिक/फ्लोराइड प्रभावित 27,544 बसावटों को सुरक्षित पेयजल मुहैया कराया जा सके। इनमें से कुछ बसावटों में समय के साथ-साथ पेयजल स्रोत की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। आज की तारीख के अनुसार, 23 बसावटों को छोड़कर, पीने योग्य पानी की व्यवस्था करने के लिए जल आपूर्ति कार्य शुरू कर दिए गए हैं/पूर्ण हो गए हैं।"

चार. योजनावार विश्लेषण

1.8 पेयजल और स्वच्छता विभाग अपने तत्वावधान में दो केंद्र प्रायोजित योजनाओं का संचालन करता है, अर्थात (ए) जल जीवन मिशन (जेजेएम); और (बी) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)। इन के संबंध में बाद के पैराओं में विस्तार से चर्चा की जा रही है।

(क) जल जीवन मिशन (जेजेएम)

1.9 प्रधान मंत्री द्वारा 15 अगस्त, 2019 को जल जीवन मिशन (जेजेएम) की घोषणा की गई , जिसे राज्यों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित किया जा रहा है ताकि 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों और सार्वजनिक संस्थानों, जैसे, स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, आश्रमशालाओं (आदिवासी आवासीय छात्रावास), सार्वजनिक / सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, उप-केंद्रों, कल्याण केंद्रों, सामुदायिक केंद्रों, ग्राम पंचायत भवनों आदि में नियमित और दीर्घ अवधि के आधार पर पर्याप्त दबाव के साथ, निर्धारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित नल जल की आपूर्ति का प्रावधान किया जा सके। मिशन के जरिये सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के साथ-साथ महिलाओं को पानी भर कर लाने के सदियों पुराने कष्ट से मुक्त करने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं।

1.10 जल जीवन मिशन के तहत, यह सुनिश्चित करते हुए कि 'कोई भी वंचित न रहे ',उद्देश्य एक कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन (एफ एच टीसी) प्रदान करने का लक्ष्य है। 2019 में, ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 18.93 करोड़ परिवारों में से केवल लगभग 3.23 करोड़ (17%) के पास नल जल कनेक्शन थे। इस प्रकार, 2024 तक 83 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को नल के पानी की आपूर्ति प्रदान की जानी थी। इसके अलावा, मौजूदा नल जल कनेक्शन को भी जेजेएम के अनुरूप बनाया जाना था।

1.11 यह मिशन 3.60 लाख करोड़ रुपये की राशि के परिव्यय के साथ भारत सरकार के सबसे बड़े सामुदायिक बुनियादी ढांचे का एक हिस्सा है, जिससे विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसर का सृजन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने में सहायता मिलेगी। तथापि , जेजेएम 'केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण' के बारे में नहीं है, बल्कि 'हर घर में सुनिश्चितजल सेवा प्रदान करने' पर केंद्रित है। यह गांवों में दीर्घकालिक पेयजल सुरक्षा प्राप्त करने के बारे में है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में 'टैंकरों' या 'ट्रेनों' आदि की तैनाती के माध्यम से आपातकालीन व्यवस्था करने से बचा जा सके। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो सभी हितधारकों को शामिल करके और स्थानीय जल उपयोगिताओं का निर्माण करके, इसे 'जन आंदोलन' - लोगों का पानी संबंधी आंदोलन में बदलकर, 'पानी के प्रबंधन कार्य से हर किसी को जोड़ने ' का आशय रखता है।

1.12 जेजेएम को विकेन्द्रीकृत तरीके से बॉटम अप दृष्टिकोण का पालन करते हुए कार्यान्वित किया जा रहा है, जहां स्थानीय ग्राम समुदायों के पास प्रणाली का स्वामित्व है और उन्हें गाँव में सर्वोपरि वित्तीय स्थिरता सहित गांव में जल आपूर्ति की योजना, कार्यान्वियन, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव की प्रमुख जिम्मेदारी निभाने के लिए सशक्त बनाया जा रहा है। यह संविधान के 73वें संशोधन के अनुरूप है जिसमें स्थानीय स्वशासन को शक्ति प्रदान की गई है। 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में नल के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करके, जेजेएम छह साल आगे भारत के एसडीजी -6 लक्ष्य तक पहुंच जाएगा और अन्य विकासशील देशों के लिए एक आदर्श बन सकता है।

(एक) जेजेएम के तहत घटक

1.13 जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत निम्नलिखित घटकों को सहायता प्रदान की गई है:-

i) प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल से जल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए गांव के भीतर नल जलापूर्ति के अवसंरचना का विकास करना ;

ii) जल आपूर्ति प्रणाली को दीर्घकालीन स्थायित्व उपलब्ध कराने के लिए विश्वसनीय पेयजल स्रोतों का विकास और/या मौजूदा स्रोतों को बढ़ाना;

iii) जहां आवश्यक हो, प्रत्येक ग्रामीण परिवार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बल्क वॉटर ट्रांसफर , शोधन संयंत्र और वितरण नेटवर्क स्थापित करना ;

iv) जहां जल गुणवत्ता की समस्या हो वहाँ संदूषणों के निपटान हेतु तकनीकी उपाय करना ;

v) 55 एलपीसीडी के न्यूनतम सेवा स्तर पर एफएचटीसी प्उपलब्ध कराने के लिए पूर्ण और चालू स्कीमों की रेट्रोफिटिंग;

vi) ग्रे-वाटर प्रबंधन;

vii) सहायता गतिविधियाँ, जैसे आईईसी, एचआरडी, प्रशिक्षण, उपयोगों का विकास, जल गुणवत्ता प्रयोगशालाएँ, जल गुणवत्ता की जांच और निगरानी, अनुसंधान एवं विकास, ज्ञान केंद्र, समुदायों की क्षमता निर्माण आदि; तथा

viii) फ्लेक्सी फंड पर वित्त मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, 2024 तक हर घर में एफएचटीसी के लक्ष्य को प्रभावित करने वाली प्राकृतिक आपदाओं के कारण उभरने वाली कोई अन्य अप्रत्याशित चुनौतियां/मुद्दे।

(दो) वास्तविक निष्पादन की तुलना में वित्तीय निष्पादन

1.14 वर्ष 2022-23 के दौरान, जलजीवन मिशन (जेजेएम) के लिए 60,000.00 करोड़ रु. आवंटित किए गए हैं, जो 2020-21 के बजट अनुमान से 19.97% और संशोधित अनुमान से 33.30% अधिक है। पिछले पाँच वर्षों के दौरान जेजेएम के वित्तीय/वास्तविक निष्पादन का विवरण नीचे दिया गया है:-

वर्ष	जल जीवन मिशन (जेजेएम) (करोड़ रुपये में)				
	बजट अनुमान (बीई)	संशोधित अनुमान (आरई)	वास्तविक	लक्ष्य (बसावटों की संख्या)	उपलब्धियां (बसावटों की संख्या)
2017-18	6050.00	7050.00	7037.95	68,770	53,411
2018-19	7000.00	5500.00	5484.34	61,273	67,804
				जेजेएम लॉन्च किया गया और लक्ष्य को बसावटों के स्थान पर घरेलू नल कनेक्शनों में बदला गया।	
2019-20	10000.66	10000.66	10000.44	84.83 लाख	
2020-21	11500.00	11000.00	10999.94	322.68 लाख	
2021-22	50011.00	45011.00	*28238.43	--	

* *21.01.2022* की स्थिति के अनुसार

1.15 विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से देखा जा सकता है कि 2017-18 से 2020-21 के दौरान वित्तीय प्रदर्शन संतोषजनक रहा। तथापि, चालू वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान विभाग केवल रु. 28238.43 करोड़ रुपये का ही उपयोग कर पाया है ।

1.16 यह पूछे जाने पर कि क्या वर्तमान आबंटन वित्त वर्ष 2022-23के दौरान विभाग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है,विभाग ने बताया कि इस विभाग के 91,258 करोड़ रुपये की राशि के आवंटन की मांग के विपरीत, 2022-23 के लिए बजट अनुमान स्तर पर जेजेएम के अंतर्गत 60,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

1.17 इस विशेष प्रश्न कि वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए बजट की बढ़ी हुई राशि का उपयोग किस प्रकार किया जायेगा ,विभाग ने लिखित टिप्पण में निम्नवत बताया :-

"प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के हर ग्रामीण परिवार को नल कनेक्शन (एफएचटीसी) प्रदान करने की समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को 2022-23 के लिए अपनी वार्षिक कार्य योजना तैयार करने के लिए कहा गया है, जिसे अप्रैल - मई 2022 में अंतिम रूप दिया जाएगा।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपनी वार्षिक कार्य योजना (2022-23) तैयार करते समय जापानी एनसेफेलाइटिस/एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम से प्रभावित पहचान किए गए 61 जिलों सहित जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों, सूखा ग्रस्त और रेगिस्तानी क्षेत्रों के गांवों, आकांक्षी जिलों, अजा/अजजा बहुल गांवों तथा सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) गांवों को हर घर में कार्यशील नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है। जलापूर्ति योजनाओं की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए घरेलू नल जल कनेक्शन, पानी की गुणवत्ता की निगरानी और पर्यवेक्षण के प्रावधान के अलावा, सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरों और ग्रामीण स्तर के अधिकारियों की क्षमता निर्माण, आईईसी गतिविधियां, राजमिस्त्री, बिजली, प्लंबर और मोटर यांत्रिकी, सेंसर आधारित आईओटी निगरानी तंत्र प्रमुख गतिविधियां हैं।"

1.18 साक्ष्य के दौरान, विभाग के प्रतिनिधि ने पावर-पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल के पानी के कनेक्शन प्रदान करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार महत्वपूर्ण लक्ष्य के बारे में समिति को अवगत कराया: -

पूर्णता वर्ष	राज्यसंघ राज्य क/ क्षेत्र	स्थिति
2020	गोवा;	1 राज्य
2021	बिहार, पुडुचेरी, तेलंगाना और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह;	2 राज्य & 3 संघ राज्य क्षेत्र
2022	गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, पंजाब, सिक्किम और उत्तराखण्ड;	8 राज्य & 2संघ राज्य क्षेत्र

2023	अरूणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, तमिलनाडु और त्रिपुरा;	9 राज्य
2024	असम, आंध्र प्रदेश, झारखण्ड, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल	8 राज्य

1.19 इस प्रश्न कि क्या विभाग उपलब्ध संसाधनों के साथ 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने की समय-सीमाओं को पूरा करने में सक्षम होगा,विभाग ने बताया कि भारत सरकार, राज्य सरकारों के साथ इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की नियमित निगरानी करती रही है। राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ समय-समय पर सम्मेलनों, कार्यशालाओं, वीडियो चर्चा के माध्यम से समीक्षा बैठकों सहित कई बैठकें आयोजित की जाती हैं जिनमें राज्यों को सलाह दी जाती है कि वे समयबद्ध ढंग से लक्ष्य प्राप्त करने हेतु कार्यक्रम के कार्यान्वयन की योजना बनाएं और उसमें तेजी लाएं।

1.20 विभाग के प्रतिनिधि ने साक्ष्य के दौरान समिति को मिशन के अपेक्षित परिणामों से भी अवगत कराया:-

- बेहतर 'जीवन की गुणवत्ता' और जीने में आसानी'; महिलाओं और लड़कियों के कठिन परिश्रम में कमी;
- जल जनित रोगों में कमी और स्वस्थ ग्रामीण समुदाय;
- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि;
- ग्रामीण समुदायों के लिए जीवन की गरिमा, शहरी ग्रामीण अंतर को पाटना ।

(तीन) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वित्तीय निष्पादन

1.21 वर्ष 2021-22 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आबंटन, जारी और सूचित उपयोग की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण (09.02.2022) की स्थिति के अनुसार)निम्नवत है :-

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केंद्रीय हिस्सा				राज्य हिस्से के अंतर्गत व्यय	केंद्रीय आबंटन के उपयोग का %
		अथ शेष	आवंटन	जारी धनराशि	उपयोग		
1.	हिमाचल प्रदेश	226.42	1,262.78	1,262.78	1,029.57	110.04	100.00%
2.	मणिपुर	15.62	481.19	481.19	355.80	40.27	100.00%
3.	मेघालय	15.06	678.39	678.39	430.17	51.51	100.00%
4.	त्रिपुरा	61.51	614.09	460.57	412.38	47.17	75.00%
5.	अरुणाचल प्रदेश	9.98	1,013.53	760.15	362.78	36.56	75.00%
6.	गुजरात	150.28	3,410.61	2,557.96	1,557.13	1,577.62	75.00%
7.	केरल	40.07	1,804.59	1,353.44	647.38	717.86	75.00%
8.	सिक्किम	8.29	124.79	93.59	66.45	4.84	75.00%
9.	नागालैंड	28.52	444.81	222.41	135.60	15.53	50.00%

10.	असम	123.78	5,601.16	2,800.58	1,540.97	157.67	50.00%
11.	ओडिशा	10.93	3,323.42	1,661.71	826.65	819.60	50.00%
12.	उत्तराखंड	111.22	1,443.80	721.90	420.02	47.35	50.00%
13.	मध्य प्रदेश	191.61	5,116.79	2,558.39	1,651.25	1,741.66	50.00%
14.	मिजोरम	27.17	303.89	151.94	100.52	12.85	50.00%
15.	हरियाणा	32.24	1,119.95	279.99	256.28	250.29	25.00%
16.	कर्नाटक	177.16	5,008.80	1,252.20	1,045.40	824.45	25.00%
17.	गोवा	3.21	45.53	11.38	12.37	12.36	24.99%
18.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.52	8.26	2.06	1.01	एनआर	24.94%
19.	आंध प्रदेश	146.65	3,182.88	791.06	105.49	98.13	24.85%
20.	पुदुचेरी	1.18	30.22	7.47	0.99	0.05	24.72%
21.	पंजाब	110.36	1,656.39	402.24	152.06	117.38	24.28%
22.	लद्दाख	66.52	1,429.96	340.68	55.84	एनआर	23.82%
23.	छत्तीसगढ़	168.52	1,908.96	453.71	312.49	309.14	23.77%
24.	महाराष्ट्र	268.99	7,064.41	1,666.64	214.75	277.26	23.59%
25.	राजस्थान	863.53	10,180.50	2,345.08	495.38	565.79	23.04%
26.	उत्तर प्रदेश	466.56	10,870.50	2,398.62	2,351.37	1,474.36	22.07%
27.	जम्मू एंव कश्मीर	113.96	2,747.17	604.18	52.21	एनआर	21.99%
28.	झारखंड	137.93	2,479.88	512.22	166.78	242.35	20.66%
29.	पश्चिम बंगाल	757.58	6,998.97	1,404.61	637.56	328.68	20.07%
30.	तमिलनाडु	377.48	3,691.21	614.35	308.30	330.05	16.64%
31.	बिहार	58.95	6,608.25	एनडी	2.41	173.92	0.00%
32.	तेलंगाना	55.15	1,653.09	एनडी	9.13	41.27	0.00%

स्रोत: जेजेएम - आईएमआईएस एनडी: आहरित नहीं एनआर: सूचित नहीं

(चार) ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) के कवरेज की सीमा

1.22 विभाग द्वारा दी गई लिखित सूचना के अनुसार ,दिनांक 15.08.2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा के समय, 18.93 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से, 3.23 करोड़ (17%) परिवारों में नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। तब से 5.72 करोड़ (29.69%) से अधिक परिवारों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं, और आज की तारीख तक, देश भर में 19.28 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से, 8.96 करोड़ (46.48%) ग्रामीण परिवारों के पास उनके घरों में पीने योग्य नल जल आपूर्ति की सूचना है। नल जल कनेक्शन के बारे में जानकारी घर के प्रमुख के आधार संख्या के आधार पर संगृहीत की गई है और जिला अधिकारियों द्वारा इसका अद्यतन किया गया है और ये राज्यों के अधिकारियों द्वारा अनुमोदित है।

1.23 यह पूछे जाने पर कि क्या विभाग द्वारा वर्ष 2024 तक मिशन के कार्यान्वयन के लिए कोई वर्षवार रोडमैप तैयार किया गया है, विभाग ने निम्नानुसार बताया: -

वर्ष	योजनाबद्ध संचयी परिवार कवरेज (% में)	18.93 करोड़ के अनुसार योजनाबद्ध संचयी एफएचटीसी (संख्या करोड़ में)	वर्तमान स्थिति के अनुसार योजनाबद्ध संचयी एफएचटीसी (संख्या करोड़ में)	संचयी उपलब्धियां
31.03.2020	21	3.97	4.05	4.06 (21.23%)
31.03.2021	34	6.44	6.56	7.29 (38.12%)
31.03.2022	54	10.23	10.41	*8.96 (46.48%)
31.03.2023	74	14.01	14.27	-
31.03.2024	90	17.04	17.35	-
31.12.2024	100	18.93	19.28	-

* 09.02.2022 की स्थितिनुसार

1.24 इस प्रश्न के उत्तर में कि क्या जमीनी स्तर पर प्रगति का आकलन करने के लिए विभाग द्वारा कोई व्यापक सर्वेक्षण/आकलन किया गया है,विभाग ने निम्नवत बताया :-

"जेजेएम के तहत, ग्रामीण परिवारों को पर्याप्त मात्रा में और निर्धारित गुणवत्ता की नियमित जलापूर्ति के मामले में सेवा वितरण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए, 2020-21 में 6,992 गांवों को कवर करते हुए सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 705 जिलों में गांवों में पाइप जलापूर्ति का देशव्यापी कार्यात्मक मूल्यांकन किया गया है। देश भर में सर्वेक्षण किए गए 87,123 घरों में से, 94% नल के पानी के कनेक्शन काम कर रहे थे, 83.5%, 61.3% और 87.2% नल के पानी के कनेक्शन क्रमशः मात्रा, पीने की क्षमता और नियमितता के आधार पर क्रियाशील पाए गए। इसके अलावा, 2021-22 के लिए कार्यात्मक मूल्यांकन कार्य शुरू किया गया है और अंतिम चरण में है।"

1.25 साक्ष्य के दौरान, विभाग के प्रतिनिधि ने समिति को जेजेएम के कार्यान्वयन में विभाग के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों के बारे में पावर-पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से अवगत कराया: -

स्केल में चुनौतियां	• **13** प्रमुख राज्यों में शेष कार्यों का **90%** । • पाइप जैसी सामग्री की बड़ी आवश्यकता की अनुपलब्धता और इसकी कीमत में उतार-चढ़ाव। • जल स्रोतों की प्रतिस्पर्धी मांग (सिंचाई से)
गति की चुनौतियां	• योजना-इक्विटी और समावेशन • खरीद और अनुबंध प्रबंधन • वित्तीय प्रबंधन और ऑनलाइन भुगतान
कार्यान्वयन की चुनौतियां	• कोविड-**19** महामारी के कारण उत्पन्न व्यवधान • विशेष रूप से सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पानी के भरोसेमंद स्थानीय स्रोत का अभाव • कुछ राज्यों में राज्य के हिस्से के मिलान में कमी और निधियों के हस्तांतरण

	में देरी।
कौशल की चुनौतियां	• प्रशिक्षित एचआर-राजमिस्त्री, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मोटर मैकेनिक आदि की उपलब्धता। • इंजीनियरों का अभिमुखीकरण /सुग्राहीकरण • कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य, जिला और जीपी स्तरों पर संस्थागत क्षमता के मुद्दे

1.26 विभाग ने एक लिखित उत्तर में योजना के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए उनके द्वारा उठाए जा रहे उपायों के बारे में समिति को आगे निम्नवत सूचित किया: -

i. जल-संकटग्रस्त और गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में थोक जल अंतरण/शोधन संयंत्र;
ii. शोधित भूजल आधारित और सतही जल आधारित परियोजनाओं का मिश्रण;
iii. मौजूदा पाइपगत जलापूर्ति (पीडब्ल्यूएस) अवसंरचना में फेरबदल और सुधार;
iv. तटीय क्षेत्रों/उच्च लवणता वाले क्षेत्रों में विलवणीकरण संयंत्र जैसे तकनीकी समाधान,
v. ऊर्जा शुल्क को कम करने के लिए सौर पंपों जैसे विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा विकल्पों को प्रोत्साहित करना;
vi. निष्पादन एजेंसियों/ग्राम पंचायत और अन्य हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम;
vii. परियोजना प्रबंधन इकाइयों सहित विभिन्न स्तरों पर पेशेवर श्रमशक्ति वृद्धि के लिए प्रावधान।"

1.27 इस प्रश्न कि क्या राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने मिशन के कार्यान्वयन के लिए अपने हिस्से के धन की व्यवस्था करने में वित्तीय बाधाओं का सामना किया है या सामना कर रहे हैं, विभाग ने निम्नवत बताया :-

"जैसा कि बताया गया है, पूर्ववर्ती एनआरडीडब्लयूपी के लिए 2018-19 तक और जेजेएम के तहत 2019-20, 2020-21 के लिए केंद्रीय व्यय और राज्य के हिस्से के व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:

(राशि करोड़ रुपए में)

वर्ष	केंद्रीय व्यय	राज्य के हिस्से का व्यय
2018-19	6,035.91	5,680.85
2019-20	5,998.99	4,066.88
2020-21	12,542.03	7,803.36

अगस्त 2019 में जेजेएम की शुरूआत के बाद, जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए कार्यसंबंधी दिशा-निर्देश राज्य सरकारों और जल क्षेत्र में काम करने वाले अन्य हितधारकों के परामर्श से तैयार किए गए थे। 25 दिसंबर, 2019 को कार्यसंबंधी दिशा-निर्देश जारी होने के साथ ही जमीनी स्तर पर जल जीवन का वास्तविक कार्यान्वयन शुरू हुआ। कुछ राज्यों को 2019-20 और 2020-21 में राज्य की समतुल्य हिस्सेदारी प्रदान करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।"

1.28 राज्यों के समतुल्य हिस्से को जारी करने के मुद्दे पर विभाग ने समिति को यह भी अवगत कराया कि चालू वित्तीय वर्ष की शुरुआत में, राज्यों द्वारा 4,649,64 करोड़ रुपये का समतुल्य राज्य हिस्सा

उपलब्ध कराना था। तथापि, आज की तारीख तक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को छोड़कर, सभी अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने समतुल्य हिस्से में पिछले वर्षों में कमी के उपयोग की सूचना दी है। भारत सरकार राज्यों के साथ इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन की नियमित रूप से निगरानी करती रही है। राज्यों से जेजेएम के अंतर्गत समतुल्य हिस्से को समय पर जारी करने और उपयोग करने का बार-बार अनुरोध किया जा रहा है।

1.29 इसके अलावा, जेजेएम के अंतर्गत, राज्यों के कोष से क्रियान्वयन करने वाले विभाग को निधियों के अंतरण में देरी, निधियों की पार्किंग और राज्य के समतुल्य अंश को उपलब्ध कराने में चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, 2021-22 में केंद्रीय सहायता-अनुदान प्रत्यक्ष रूप से राज्य जल और स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम) के एस्क्रो खाते में जारी किया जा रहा है।

(पाँच) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र –वार कवरेज

1.30 दि. 09.02.2022की स्थिति के अनुसार नल जल कनेक्शन वाले परिवारों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र –वार कवरेज विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल परिवार *(लाख में)*	नल जल कनेक्शन वाले कुल परिवारों की संख्या *(लाख में)*	नल जल कनेक्शन प्रदान की गई परिवारों का %
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.62	0.62	100.00
2.	दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	0.85	0.85	100.00
3.	गोवा	2.63	2.63	100.00
4.	हरियाणा	30.97	30.97	100.00
5.	पुदुचेरी	1.15	1.15	100.00
6.	तेलंगाना	54.06	54.06	100.00
7.	पंजाब	34.40	34.09	99.08
8.	हिमाचल प्रदेश	17.28	15.97	92.46
9.	गुजरात	91.77	83.89	91.41
10.	बिहार	1,72.21	154.59	89.77
11.	सिक्किम	1.05	0.84	79.91
12.	महाराष्ट्र	1,46.09	99.28	67.96
13.	मणिपुर	4.52	2.85	63.08
14.	जम्मू एंव कश्मीर	18.35	10.51	57.28
15.	उत्तराखंड	15.18	8.00	52.69
16.	अरुणाचल प्रदेश	2.20	1.15	51.98
17.	आंध प्रदेश	95.17	49.33	51.83
18.	मिजोरम	1.33	0.62	46.62
19.	कर्नाटक	97.92	45.44	46.41
20.	ओडिशा	88.34	37.17	42.08
21.	त्रिपुरा	7.60	3.13	41.21

22.	तमिलनाडु	1,26.89	51.33	40.45
23.	नागालैंड	3.77	1.49	39.48
24.	केरल	70.69	27.03	38.24
25.	मध्य प्रदेश	1,22.28	46.31	37.87
26.	मेघालय	5.90	2.10	35.61
27.	असम	63.35	19.38	30.59
28.	लद्दाख	0.43	0.13	29.42
29.	राजस्थान	1,01.45	23.03	22.70
30.	पश्चिम बंगाल	1,77.23	33.50	18.90
31.	झारखंड	59.23	10.94	18.47
32.	छत्तीसगढ़	48.59	8.47	17.43
33.	उत्तर प्रदेश	2,64.28	35.22	13.33
	कुल	**19,27.76**	**8,96.07**	**46.48**

स्रोत: जेजेएम, आईएमआईएस

1.31 आगे ,यह पूछे जाने पर कि विभाग द्वारा समय-समय पर विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में क्षेत्र स्तर पर उपलब्धियों का सत्यापन करने के लिए क्या कोई व्यवस्था की गई है,विभाग ने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया :

" जेजेएम के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा निम्नलिखित तंत्र अपनाया गया है:

(क) राज्यों द्वारा डाटा का अद्यतन करने के लिए एक समर्पित जेजेएम-आईएमआईएस वास्तविक समय डैशबोर्ड @ https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMIndia.aspx; चालू किया गया है।

(ख) लक्षित वितरण और विशिष्ट परिणामों की निगरानी के लिए, प्रत्येक कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन को संवैधानिक प्रावधानों के अध्यधीन, घर के मुखिया के आधार नंबर के साथ जोड़ा जा रहा है;

(ग) जेजेएम के तहत बनाई गई प्रत्येक संपत्ति को जियो-टैग किया जा रहा है;

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति की निगरानी के लिए आईओटी आधारित 'स्मार्ट जलापूर्ति माप और निगरानी प्रणाली' को विकसित किया जा रहा है;

(ङ) राज्यों द्वारा जेजेएम के तहत बनाई गई परिसंपत्तियों का तीसरे पक्ष द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है ताकि किए गए कार्य की गुणवत्ता की जांच की जा सके;

(च) जल आपूर्ति योजनाओं और नल जल कनेक्शन की कार्यशीलता का मूल्यांकन किया जा रहा है; और

(छ) नियमित क्षेत्रीय दौरे और समीक्षा की गई।"

इसके अलावा, पानी समितियों/ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों, ग्राम पंचायतों और उपयोगकर्ताओं/अधिकारियों द्वारा मोबाइल अथवा लैपटॉप का प्रयोग करके डाटा संग्रहण और विवरण को प्रकाशित करने को समर्थकारी बनाने के लिए एक मोबाइल ऐप भी शुरू किया गया है।

(छह) ग्राम कार्य योजना (वीएपी) और ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएमसी)

1.32 जेजेएम के अंतर्गत, प्रत्येक गांव/ग्राम पंचायत को 15वें वित्त आयोग की अवधि के साथ समाप्त होने वाली अपनी ग्राम कार्य योजना (वीएपी) तैयार करनी है, जिसमें पेयजल स्रोत संवर्धन और सुदृढ़ीकरण, जलापूर्ति अवसंरचना का विकास, ग्रे-वॉटर शोधन तथा पुन:उपयोग और संचालन व अनुरक्षण शामिल हैं। इसके अलावा ,भारत के 73वें संविधान संशोधन के अनुसरण में, जेजेएम के तहत, ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति अर्थात ग्राम जल और स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएमसी), पानी समिति/उपयोगकर्ता समूह आदि को उपयोगकर्ता समिति के रूप में कार्य करना है। प्रत्येक गांव/ग्राम पंचायत में 10-15 सदस्यों के उपयोगकर्ता समूह का प्रतिनिधित्व करने वाली समिति का गठन करना है जिसमें कम-से-कम 50 प्रतिशत महिला सदस्य हों और उनकी आबादी के अनुपात में गांव के कमजोर वर्गों (एससी/एसटी) का 25 प्रतिशत प्रतिनिधित्व हो।

1.33 ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति अर्थात ग्राम जल और स्वच्छता समिति /पानी समिति/प्रयोकता समूह, आदि द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली अन्तः ग्राम पाइप लाइन जलापूर्ति के अवसंरचना और संबंधित स्रोत विकास के लिए पहाड़ी और वन प्रदेशों , पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों ,50% से अधिक अनुसूचित जाति और / या अनुसूचित जनजाति आबादी वाले गांवों में समुदाय द्वारा पूंजीगत लागत का 5% नकद / या वस्तु और / या श्रम के रूप में दिया जाएगा और अन्य गांवों में पूंजी लागत का 10% भाग दिया जाएगा । समुदाय की सम्मति और गांव के कम से कम 80% घरों से अंशदान लेना जल जीवन मिशन के तहत जल आपूर्ति योजना चलाने के लिए अनिवार्य पूर्व-आवश्यकता है। ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, गरीब, निर्बल , दिव्यांगजन या विधवा जिनकी आय का कोई नियमित स्त्रोत नहीं है, से व्यक्तिगत अंशदान न लेने पर विचार कर सकती है। हालाँकि, यह नियम के बजाय एक अपवाद है।

1.34 पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के प्रतिनिधि ने साक्ष्य के दौरान समिति को मिशन के कार्यान्वयन के लिए वीएपी और वीडब्ल्यू एंड एससी के महत्व से अवगत कराया:-

"योजना के संदर्भ में, हम एक बॉटम-अप दृष्टिकोण का अनुसरण कर रहे हैं। ग्राम पंचायत या ग्राम स्तरीय जल एवं स्वच्छता समिति आयोजना में एक महत्वपूर्ण भागीदार बनती है। गांव द्वारा तैयार की गई योजना, जिसे आम तौर पर ग्राम कार्य योजना के रूप में जाना जाता है, सहभागी दृष्टिकोण पर आधारित है। जिला स्तर पर एकत्रीकरण किया जाता है। जिला कार्य योजना तैयार कर उन्हें पुन: राज्य स्तर पर एकत्रित किया जा रहा है। गाँवों के परामर्श से बहु-ग्राम योजनाएँ राज्य स्तर पर तैयार और नियोजित की जा रही हैं। यह एक व्यापक दृष्टिकोण है जिसका हम अनुसरण कर रहे हैं।

1.35 साक्ष्य के दौरान विभाग के प्रतिनिधि ने आगे बताया :

"यहाँ तक कि एकमात्र गांव में भी, प्रारंभिक कार्य लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) द्वारा किया जा रहा है, लेकिन बाद में रखरखाव, आदि को या तो ग्राम पंचायत या ग्राम जल और स्वच्छता समिति द्वारा ही किया जाना है। विचार यह है कि वे एक सार्वजनिक उपयोगिता बनें, उन्हें अपना जल संबंधी काम खुद संभालना चाहिए, और उन्हें उपयोगकर्ता शुल्क भी जमा करना चाहिए। यह हमारा लक्ष्य है और हम इस दिशा में काम कर रहे हैं।"

1.36 तैयार किए गए वीएपी और गठित वीडब्ल्यूएससी/पानी समिति का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण निम्नानुसार है:-

गठित वीडब्ल्यूएससी और तैयार किए गए वीएपी की संख्या

(09.02.2022की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल गांव	गठित वीडब्ल्यूएससी की संख्या	तैयार किए गए वीएपी की संख्या
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप	266	266	265
2.	आंध्र प्रदेश	18,606	18,379	17,892
3.	अरुणाचल प्रदेश	5,553	5,504	5,485
4.	असम	25,335	12,706	15,498
5.	बिहार	39,456	2,147	754
6.	छत्तीसगढ़	19,676	19,667	19,666
7.	दादरा और नगर हवेली तथा	96	एनआर	एनआर
8.	गोवा	378	378	एनआर
9.	गुजरात	18,191	18,191	18,191
10.	हरियाणा	6,803	6,420	6,694
11.	हिमाचल प्रदेश	18,150	17,924	17,514
12.	जम्मू एंव कश्मीर	6,887	5,806	5,427
13.	झारखंड	29,756	28,801	29,653
14.	कर्नाटक	28,657	27,663	25,420
15.	केरल	1,578	1,578	1,578
16.	लद्दाख	250	249	240
17.	मध्य प्रदेश	51,585	24,419	22,739
18.	महाराष्ट्र	40,495	39,827	39,289
19.	मणिपुर	2,556	2,555	2,555
20.	मेघालय	6,415	5,648	4,430
21.	मिजोरम	692	647	467
22.	नागालैंड	1,499	1,493	1,494
23.	ओडिशा	47,354	24,389	20,217
24.	पुदुचेरी	246	245	235
25.	पंजाब	12,009	11,365	16
26.	राजस्थान	43,323	43,238	43,167
27.	सिक्किम	440	440	440
28.	तमिलनाडु	12,525	12,525	12,525
29.	तेलंगाना	10,470	7,339	एनआर
30.	त्रिपुरा	1,178	1,178	1,178
31.	उत्तर प्रदेश	97,568	94,882	51,135
32.	उत्तराखंड	15,264	14,762	14,741
33.	पश्चिम बंगाल	41,374	17,735	375
कुल		**6,04,631**	**4,68,366**	**3,79,280**

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस एनआर: सूचित नहीं

(सात) आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता देना

1.37 दूर दराज के क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों, सीमावर्ती क्षेत्रों आदि में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने पर केंद्र सरकार के अविभाजित फोकस के साथ, यह मिशन बिना किसी भेदभाव के हर ग्रामीण घर में सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। सिद्धांत यह है कि 'कोई भी वंचित न रहे ', और जो लोग अब तक सेवा प्राप्त नहीं कर पाए हैं, उन्हें अपने घरों में पीने का सुनिश्चित हो । निम्न मानव विकास सूचकांक (एच डीआई) वाले जिलों को नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों के रूप में पहचान की गई है। 15

अगस्त, 2019 को, जब जल जीवन मिशन की घोषणा की गई थी, तब 117 आकांक्षी जिलों के केवल 24.32 लाख (7.19%) परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति थी।

1.38 117 आकांक्षी जिलों के गांवों में कुल घरों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सूची, उनमें हुई प्रगति और नल कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने वाले घरों की संख्या निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	राज्य	आकांक्षी जिलों की संख्या	आकांक्षी जिलों में कुल ग्रामीण परिवार *(लाख में)*	नल जल कनेक्शन वाले परिवार *(लाख में)*	नल जल कनेक्शन वाले परिवारों का %
1.	हरियाणा	1	1.58	1.58	100.00
2.	तेलंगाना	3	4.46	4.46	100.00
3.	हिमाचल प्रदेश	1	1.22	1.21	99.46
4.	पंजाब	2	2.71	2.61	96.47
5.	बिहार	13	58.66	51.65	88.04
6.	सिक्किम	1	0.31	0.27	85.40
7.	जम्मू और कश्मीर	2	3.10	1.85	59.61
8.	मणिपुर	1	0.19	0.11	58.30
9.	महाराष्ट्र	4	10.78	6.03	55.94
10.	गुजरात	2	4.72	2.63	55.74
11.	नागालैंड	1	0.15	0.01	54.01
12.	आंध्र प्रदेश	3	16.63	8.56	51.49
13.	अरुणाचल प्रदेश	1	0.17	0.08	47.33
14.	मेघालय	1	0.56	0.26	46.59
15.	मिजोरम	1	0.18	0.08	43.05
16.	कर्नाटक	2	5.77	2.19	37.98
17.	उड़ीसा	10	24.45	9.05	37.03
18.	मध्य प्रदेश	8	20.08	7.06	35.17
19.	त्रिपुरा	1	1.01	0.36	35.19
20.	असम	7	16.22	4.36	26.90
21.	केरल	1	1.91	0.50	26.03
22.	उत्तराखंड	2	4.77	1.13	23.72
23.	पश्चिम बंगाल	5	53.95	10.76	19.95

24.	तमिलनाडु	2	8.13	1.56	19.25
25.	झारखंड	19	49.13	9.12	18.57
26.	राजस्थान	5	9.14	1.47	16.12
27.	छत्तीसगढ	10	13.57	2.18	16.10
28.	उत्तर प्रदेश	8	25.82	3.76	14.56
कुल		**117**	**339.37**	**134.99**	**39.78**

(आठ) जापानी इंसेफेलाइटिस/एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम (जेई/एईएस) प्रभावित जिलों में नल जल कनेक्शन का प्रावधान

1.39 जापानी इंसेफेलाइटिस-एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम (जेई-एईएस) स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा है। यह रोग ज्यादातर बच्चों और युवा वयस्कों को प्रभावित करता है जिससे रुग्णता और मृत्यु हो सकती है। ये संक्रमण विशेष रूप से गरीब आर्थिक पृष्ठभूमि के कुपोषित बच्चों को प्रभावित करते हैं। नोडल मंत्रालय के रूप में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ साथ पांच केंद्रीय मंत्रालयों के माध्यम से रोकथाम और नियंत्रण उपायों को मजबूत करने के लिए पांच राज्यों में 61 उच्च प्राथमिकता वाले जिलों की पहचान की गई है। इन जिलों में बीमारी के बोझ को कम करने के लिए जेजेएम एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है।जल जीवन मिशन ने असम, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के प्रभावित जिलों में आर्थिक रूप से गरीब परिवारों को स्वच्छ नल जल आपूर्ति प्रदान करके जेई-एईएस के प्रसार को कम करने के लिए निवारक उपायों को काफी मजबूत किया है। 15 अगस्त 2019 को, जब जल जीवन मिशन की घोषणा की गई थी, पांच राज्यों के इन जिलों में केवल 8.02 लाख (2.64%) परिवारों के घरों में नल जल आपूर्ति थी।

1.40 विभाग ने लिखित उत्तर में आगे बताया कि 09.02.2022 तक, पांच राज्यों में 61 चिन्हित जेई/एईएस प्रभावित जिलों में नल जल आपूर्ति का प्रावधान 8.02 लाख (2.64%) से बढ़कर 123.07 लाख (40.43%) हो गया है।

1.41 जेई/एईएस प्रभावित 61 जिलों के ग्रामीण गांवों में नल जल कनेक्शन का राज्य-वार विवरण निम्नानुसार है: -

क्र. सं.	राज्य	जेई/एईएस प्रभावित प्राथमिकता वाले जिलों की संख्या	जेई/एईएस प्रभावित जिलों में कुल ग्रामीण परिवार (लाख में)	नल जल कनेक्शन वाले परिवार (लाख में)	नल जल कनेक्शन वाले परिवार का %
1.	असम	10	22.43	6.05	26.97
2.	बिहार	15	88.89	80.50	90.56
3.	तमिलनाडु	6	22.58	8.90	39.42
4.	उत्तर प्रदेश	20	91.80	12.94	14.10
5.	पश्चिम बंगाल	10	78.69	14.67	18.64
	कुल	**61**	**3,04.39**	**1,23.07**	**40.43**

(नौ) ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के दूषित होने का मुद्दा

1.42 पेयजल के दूषित होने के पहलू पर, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि आईएमआईएस के बारे में राज्यों द्वारा 09.02.2022 को दी गई रिपोर्ट के अनुसार, 16 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 210 जिलों में फैली 35,370 ग्रामीण बस्तियां पानी की गुणवत्ता / संदूषण के मुद्दों से प्रभावित हैं। ।

1.43 विभिन्न प्रदूषकों से प्रभावित बसावटों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण निम्नवत दिया गया है:-

क्र. सं.	राज्य	प्रभावित जिलों की संख्या	गुणवत्ता-प्रभावित बसावटों की संख्या								
			फ्लोराइड	आर्सेनिक	लौह	लवणता	नाइट्रेट	भारी धातु	कुल	सीडब्ल्यूपीपी के साथ कवर	शेष
1.	आंध्र प्रदेश	7	86	0	0	12	1	0	99	87	12
2.	अरुणाचल प्रदेश	5	0	0	224	0	0	0	224	0	224
3.	असम	27	0	47	14,294	0	0	5	14,346	53	14,293
4.	बिहार	12	1	11	450	0	0	0	462	2	460
5.	छत्तीसगढ़	4	154	0	30	0	0	0	184	31	153
6.	झारखंड	7	48	1	59	0	0	0	108	48	60
7.	केरल	11	5	0	61	18	8	0	92	0	92
8.	मध्य प्रदेश	6	52	0	24	7	2	0	85	0	85
9.	महाराष्ट्र	5	3	0	6	34	7	0	50	0	50
10.	ओडिशा	23	45	0	2,031	30	6	0	2,112	0	2,112
11.	पंजाब	20	180	560	9	0	38	136	923	104	819
12.	राजस्थान	31	1,304	0	5	10,104	691	0	12,104	1,333	10,771
13.	त्रिपुरा	8	0	0	1,079	0	0	0	1,079	0	1,079
14.	उत्तर प्रदेश	25	41	107	281	79	10	0	518	146	372
15.	उत्तराखंड	1	0	0	2	0	2	0	4	0	4
16.	पश्चिम बंगाल	18	145	1,066	1,630	72	0	67	2,980	213	2,767
कुल		**210**	**2,064**	**1,792**	**20,185**	**10,356**	**765**	**208**	**35,370**	**2,017**	**33,353**

1.44 इस प्रश्न कि क्या जल गुणवत्ता घटक के तहत पीने के पानी के स्रोतों के संदूषण की समस्या के समाधान के लिए निर्धारित धनराशि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, विभाग ने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:-

"जेजेएम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों का आबंटन करते समय, रासायनिक संदूषकों से प्रभावित बस्तियों में रहने वाली आबादी को 10 प्रतिशत भारांक महत्व दिया जाता है। राज्यों को जेजेएम के तहत उपलब्ध कराई गई निधियों का उपयोग जल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिकता आधार पर स्कीमों को आरंभ करने के लिए किया जा सकता है।इसके अतिरिक्त, जेजेएम के तहतराज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के लिए आबंटन का 2 प्रतिशत तक जल गुणवत्ता निगरानी और पर्यवेक्षण गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा सकता है। जेजेएम के तहत वर्धित आबंटन और पिछले वर्षों में सूचित उपयोग को ध्यान में रखते हुए निधियां पर्याप्त हैं।"

1.45 इसके अलावा ,यह पूछे जाने पर कि पेयजल स्रोतों के संदूषण की समस्या से निपटने के लिए जन जागरुकता अभियान शुरू करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने और सक्षम बनाने हेतु विभाग द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं, विभाग ने निम्नवत बताया:-

"सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सलाह दी गई है कि वे डब्ल्यूक्यूएमएण्डएस के तहत निम्नलिखित आईईसी गतिविधियां संचालित कर सकते हैं:

i. गांवों/ब्लॉकों/जिलों के प्रमुख स्थानों में निकटतम जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला का विवरण दर्शाना;
ii. विभागीय हितधारकों, ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वीडब्ल्यूएससी/पानी समिति/प्रयोक्ता समूह आदि, आईएसए, पीआरआई, जमीनी स्तर के तकनीशियनों आदि का जल गुणवत्ता संबंधी प्रशिक्षण;
iii. जल गुणवत्ता के मुद्दों, जलजनित रोगों और स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना;
iv. जल सुरक्षा आयोजना; व्यवहार परिवर्तन संचार -'गुणवत्ता प्रभावित स्रोत से बिल्कुल पानी लेने से बचना';
v. पोषण में अच्छी गुणवत्ता वाले पेयजल के महत्व पर अंतरव्यक्तिगत संप्रेषण-;
vi. दूषित जल के सेवन के दुष्परिणामों के संबंध में श्रव्यदृश्य प्रचार-, स्वच्छता निरीक्षण का महत्व, निजी जल गुणवत्ता स्रोतों के परीक्षण की प्रक्रिया आदि;
vii. नल जल को बढ़ावा देने वाले दीवार लेखन -'यह संदूषण से मुक्त है' और;
viii. जल गुणवत्ता संबंधी स्लोगन, समूह बैठकें, नुक्कड़ नाटक, पीआरए गतिविधियाँ, प्रदर्शन आदि

राज्यों को जीपी स्तर, आंगनवाड़ी केंद्रों और विद्यालयों में फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) परीक्षण करने और इन एफटीके परीक्षणों को करने के लिए गांवों में कम से कम पांच व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं को प्रशिक्षित करने की सलाह दी गई है।इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) या प्रयोगशालाओं के माध्यम से पानी की गुणवत्ता के लिए पानी के नमूनों का परीक्षण करने में सक्षम बनाने के लिए, और पेयजल स्रोतों के नमूना संग्रह, रिपोर्टिंग, देखभाल एवं निगरानी के लिए भारतीय चिकित्सा

अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के साथ साझेदारी में एक ऑनलाइन जेजेएम - जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली (डब्ल्यूक्यूएमआईएस) विकसित की गई है, जो सार्वजनिक डोमेन में है और इसे निम्नलिखित लिंक पर भी देखा जा सकता है:https://neer.icmr.org.in/website/main.phpयदि परीक्षण किया गया पानी का नमूना संदूषित है, तो उपचारात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए यह पोर्टल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में संबंधित अधिकारियों को स्वचालित अलर्ट भी प्रदान करता है।इस पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति अपना नमूना भी पंजीकृत कर सकता है और पानी के नमूने की जांच के लिए नजदीकी जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला का चयन कर सकता है। इस प्रकार, ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के नमूनों का परीक्षण और रिपोर्टिंगप्रयोक्ताओं को उनके घरों में आपूर्ति किए जा रहे जल की गुणवत्ता के बारे में जागरूक करने के लिए सुलभ और आसान बन गया है।"

1.46 यह पूछे जाने पर कि क्या नवीनतम और अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग दूषित पानी अर्थात्, आर्सेनिक संदूषण, फ्लोराइड संदूषण, लवणता समस्या, नाइट्रेट संदूषण और लौह संदूषण, आदि के उपचार के लिए किया जा रहा है, विभाग ने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:-

"ग्रामीण पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है। ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं की आयोजना बनाने, अनुमोदन और कार्यान्वित करने की शक्तियाँ राज्यों के पास हैं। इस प्रकार, अलग-अलग परियोजनाओं के विवरण का जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जलापूर्ति योजना के लिए किसी विशेष प्रकार की उपचार प्रणाली का चयन शामिल है, इस विभाग द्वारा इसका रख-रखाव नहीं किया जाता है।राज्य शोधित जल की गुणवत्ता और इस प्रयोजन हेतु उपलब्ध बजट के आधार पर सक्रिय कार्बन फिल्टर, रिवर्स ऑस्मोसिस, ओजोनेशन, नैनो तकनीक, ऑक्सीकरण (ऐरेशन), आयन एक्सचेंज, अल्ट्रा वायलेट (यूवी) प्रणाली आदि जैसे जल शुद्धिकरण संयंत्रों के लिए विभिन्न जलशोधन प्रणालियों को शुरू कर सकते हैं। जल जीवन मिशन के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सलाह दी गई है कि वे पानी की गुणवत्ता की समस्याओं और आस-पास के क्षेत्रों में उपयुक्त सतही जल स्रोत की अनुपलब्धता वाले गांवों में लंबी दूरी से बड़ी मात्रा में जल ढुलाई (बल्क वाटर ट्रांस्फर) की योजना तैयार करें।"

1.47 संदूषण प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में बसावटों/घरों को सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए स्थापित सामुदायिक जल शोधन संयंत्रों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	राज्य राज्य	सामुदायिक जल शोधन संयंत्रों की संख्या	
		24.02.2021 **की स्थिति के अनुसार**	**21.02.2022की स्थिति के अनुसार**
1.	आंध्र प्रदेश	1512	1000
2.	असम	1933	1891
3.	बिहार	506	484
4.	छत्तीसगढ़	158	251
5.	हरियाणा	16	15
6.	झारखंड	547	490

7.	कर्नाटक	17206	13299
8.	केरल	3	12
9.	मध्य प्रदेश	288	222
10.	महाराष्ट्र	22	20
11.	ओडिशा	49	46
12.	पंजाब	640	677
13.	राजस्थान	7094	4838
14.	उत्तर प्रदेश	417	417
15.	पश्चिम बंगाल	1880	2536
	कुल	32271	**26,198**

(दस) पेयजल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाएं

1.48 राष्ट्रीय मिशन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना, उन्नयन, कार्यप्रणाली में सुधार और सुदृढ़ीकरण में सहायता और सुविधा प्रदान कर रहा है। जेजेएम कम से कम बुनियादी जल गुणवत्ता महत्व के मानकों के लिए आईएसओ/आईईसी 17025 के अनुसार पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की मान्यता और स्थानीय स्थिति के अनुसार धीरे-धीरे अन्य मानकों में उन्नयन पर जोर देता है।

1.49 विभाग द्वारा सूचित किए गए अनुसार, देश में अब तक विभिन्न स्तरों अर्थात् जिला, उप-मंडल और/या ब्लॉक स्तर पर 2,021 पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं जिसमें 444 एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं शामिल हैं।

क्र. सं.	प्रयोगशाला **स्तर**	प्रयोगशालाओं की संख्या		
		25.02.2020 की स्थिति के अनुसार	**24.02.2021** की स्थिति के अनुसार	**21.02.2022** की स्थिति के अनुसार
1.	राज्य **स्तर**	28	28	28
2.	जिला **स्तर**	732	675	659
3.	ब्लॉक **स्तर**	244	93	89
4.	सब-डिवीजन **स्तर**	1146	1143	1181

5.	मोबाइल प्रयोगशालाएं	83	93	64
	कुल	**2232**	**2032**	**2021**

1.50 योजना के तहत पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण निम्नवत है :-

क्र. सं.	राज्य	पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या						
		राज्य स्तर*	जिला स्तर*	ब्लॉक स्तर*	उप-मंडल स्तर*	मोबाइल प्रयोगशालाएं#	कुल#	एनएबीएल प्रत्यायित
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	3	0	7	0	11	0
2.	आंध्र प्रदेश	1	13	0	98	0	112	13
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	17	0	30	1	49	0
4.	असम	1	25	0	51	3	80	6
5.	बिहार	1	38	0	75	9	123	1
6.	छत्तीसगढ़	1	27	0	22	18	68	12
7.	गोवा	1	0	0	13	0	14	1
8.	गुजरात	1	32	47	0	1	81	33
9.	हरियाणा	1	21	0	21	1	44	22
10.	हिमाचल प्रदेश	1	14	0	44	0	59	39
11.	जम्मू एंव कश्मीर	0	20	2	70	0	92	0
12.	झारखंड	1	24	1	4	0	30	7
13.	कर्नाटक	2	30	0	47	1	80	15
14.	केरल	1	14	0	37	0	52	9
15.	लद्दाख	0	2	0	4	0	6	0
16.	मध्य प्रदेश	1	51	0	103	0	155	81
17.	महाराष्ट्र	0	34	0	143	0	177	34
18.	मणिपुर	1	12	0	0	0	13	8
19.	मेघालय	0	7	0	24	0	31	0
20.	मिजोरम	1	8	0	18	0	27	1
21.	नागालैंड	1	10	0	0	1	12	1
22.	ओडिशा	1	32	0	44	0	77	11
23.	पुदुचेरी	0	2	0	0	0	2	1
24.	पंजाब	2	22	8	0	1	33	18
25.	राजस्थान	1	32	0	0	21	54	32
26.	सिक्किम	0	2	0	0	0	2	1
27.	तमिलनाडु	1	31	25	56	0	113	1
28.	तेलंगाना	1	19	0	55	0	75	6
29.	त्रिपुरा	1	8	6	6	0	21	7
30.	उत्तर प्रदेश	1	75	0	0	5	81	24
31.	उत्तराखंड	1	13	0	13	0	27	1
32.	पश्चिम बंगाल	1	21	0	196	2	220	59
	कुल	**28**	**659**	**89**	**1,181**	**64**	**2,021**	**444**

** मोबाइल लैब रहित* *स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस*

 # राज्य/ जिला/ ब्लॉक/ उप-मंडल स्तर

1.51 यह पूछे जाने पर कि क्या सभी जल परीक्षण प्रयोगशालाओं के तकनीकी उन्नयन के लिए विभाग द्वारा कोई कार्य योजना तैयार की गई है, विभाग ने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:-

"यह सुनिश्चित करना कि प्रयोगशालाएं सुविधाओं से सुसज्जित हैं, राज्यों को कम से कम बुनियादी जल गुणवत्ता महत्व के मानकों के लिए आईएस/आईएसओ/आईईसी: 17025 के अनुसार पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं को मान्यता प्राप्त करने और धीरे-धीरे स्थानीय स्थितियों के अनुसार उन्नयन करने की सलाह दी गई है। राज्य सरकारें एनएबीएल प्रत्यायन के लिए योजना तैयार करती हैं और उसके लिए आवेदन करती हैं। एक ओर विभाग/मिशन ने प्रयोगशालाओं की प्रत्यायन/मान्यता को सरल और तेज करने के लिए एनएबीएल के साथ शुरूआत की है, दूसरी ओर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से नियमित रूप से प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध किया जा रहा है। यह विभाग इन मानकों को पूरा करने के लिए प्रयोगशालाओं के उन्नयन, प्रत्यायन और मान्यता के लिए नियमित रूप से समीक्षा कर रहा है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर जोर दे रहा है। इन प्रयोगशालाओं को जनता के लिए खोल दिया गया है ताकि वे अपने पानी के नमूनों की मामूली दर पर जांच करवा सकें।"

1.52 आगे ,यह पूछे जाने पर कि क्या देश की सभी परीक्षण प्रयोगशालाएं अद्यतन उपकरणों और प्रशिक्षित तकनीकी कर्मियों से लैस हैं,विभाग ने बताया कि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पेयजल गुणवत्ता देखभाल और निगरानी रूपरेखा का पालन करने की सलाह दी गई है जिसमें प्रयोगशालाओं को मजबूत करने के लिए जनशक्ति/विशेषज्ञों की योग्यता और आवश्यकता और उपकरणों का सुझाव दिया गया है।

1.53 इस विशेष प्रश्न कि एफटीके/जैविक शीशियों के माध्यम से जल नमूनों के परीक्षण के लिए सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों/गांव स्तर पर कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है, विभाग ने बताया कि सभी राज्यों को सलाह दी गई है कि वे एफटीके/जैविक शीशियों का उपयोग करके पानी की गुणवत्ता परीक्षण करने के लिए स्थानीय समुदाय से 5 व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं को प्रशिक्षित करें। रिपोर्ट किए गए अनुसार, 09.02.2022 तक, ग्राम पंचायतों/ग्राम स्तर पर अब तक, 9.09 लाख महिलाओं को जल गुणवत्ता देखभाल और निगरानी गतिविधियों में प्रशिक्षित किया गया है, जिसमें एफटीके/जैविक शीशियों के माध्यम से पानी के नमूनों का परीक्षण शामिल है।

1.54 डब्ल्यूक्यूएमएंडएस गतिविधियों के लिए प्रशिक्षित महिलाओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या निम्नवत है :-

क्र. सं.	राज्य	डब्ल्यूक्यूएमएस के लिए प्रशिक्षित महिलाओं की संख्या
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1,019
2.	आंध्र प्रदेश	49,153
3.	अरुणाचल प्रदेश	16,631
4.	असम	35,715
5.	बिहार	377
6.	छत्तीसगढ़	86,574

7.	दादरा और नगर हवेली	69
8.	गोवा	एनआर
9.	गुजरात	41,814
10.	हरियाणा	32,791
11.	हिमाचल प्रदेश	36,499
12.	जम्मू एंव कश्मीर	4,805
13.	झारखंड	9,144
14.	कर्नाटक	63,177
15.	केरल	1
16.	लद्दाख	1,219
17.	मध्य प्रदेश	52,750
18.	महाराष्ट्र	1,93,072
19.	मणिपुर	12,837
20.	मेघालय	23,014
21.	मिजोरम	2,981
22.	नागालैंड	6,409
23.	ओडिशा	26,287
24.	पुदुचेरी	987
25.	पंजाब	38,257
26.	राजस्थान	19,313
27.	सिक्किम	2,019
28.	तमिलनाडु	62,661
29.	तेलंगाना	7,659
30.	त्रिपुरा	5,517
31.	उत्तर प्रदेश	35,042
32.	उत्तराखंड	40,715
33.	पश्चिम बंगाल	760
कुल		**9,09,268**

(ग्यारह) ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय तथा आंगनवाड़ी केंद्र को पाइपगत जलापूर्ति

1.55 बच्चे जल-जनित बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील होते है और ग्रामीण क्षेत्रों में अपना अधिकतर समय विद्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों में व्यतीत करते है। इस प्रकार, उनके सुरक्षित आवासों में पाइप से पीने योग्य जलापूर्ति सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है जो कोविड-19 महामारी की दृष्टि से और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। इसे ध्यान में रखते हुए, इन केंद्रों में पीने और मध्याह्न भोजन पकाने के लिए पाइप से जलापूर्ति और हाथ धोने तथा शौचालयों में उपयोग के लिए नल जल उपलब्ध कराने के लिए 100-दिवसीय अभियान शुरू किया गया है।

1.56 विभाग ने बताया कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, अब तक 8.45 लाख (82.11%) से अधिक स्कूलों और 8.64 लाख (77.34%) से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था की गई है।

1.57 पीने योग्य पाइपगत जल की सुविधा वाले विद्यालयों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण निम्नवत है :-

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आंगनवाड़ी केंद्र (एडब्ल्यूसी)			विद्यालय		
		कुल एडब्ल्यूसी	नल जल आपूर्ति वाले एडब्ल्यूसी	नल जल आपूर्ति वाले एडब्ल्यूसी का %	कुल विद्यालय	नल जल आपूर्ति वाले विद्यालय	नल जल आपूर्ति वाले विद्यालयों का %
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	558	558	100.00	368	368	100.00
2.	आंध्र प्रदेश	42,604	42,604	100.00	41,572	41,572	100.00
3.	दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	369	369	100.00	411	411	100.00
4.	गोवा	529	529	100.00	1,098	1,098	100.00
5.	गुजरात	42,279	42,279	100.00	29,754	29,754	100.00
6.	हरियाणा	21,789	21,789	100.00	12,988	12,988	100.00
7.	हिमाचल प्रदेश	17,769	17,769	100.00	17,298	17,298	100.00
8.	जम्मू एंव कश्मीर	23,926	23,926	100.00	22,422	22,421	100.00
9.	कर्नाटक	53,699	53,699	100.00	42,015	42,015	100.00
10.	केरल	26,783	26,783	100.00	10,877	10,877	100.00
11.	पुदुचेरी	413	413	100.00	390	390	100.00
12.	सिक्किम	1,229	1,229	100.00	732	732	100.00
13.	तमिलनाडु	39,459	39,459	100.00	37,741	37,741	100.00
14.	तेलंगाना	27,310	27,310	100.00	22,882	22,882	100.00
15.	उत्तराखंड	16,473	16,473	100.00	19,249	19,249	100.00
16.	बिहार	96,979	95,956	98.95	71,323	70,767	99.22
17.	नागालैंड	3980	1726	43.37	1,990	1,973	99.15

18.	पंजाब	22470	22120	98.44	22,714	22,389	98.57
19.	मणिपुर	7972	7599	95.32	3,456	3,283	94.99
20.	महाराष्ट्र	91267	81274	89.05	85,317	77,339	90.65
21.	लद्दाख	1157	834	72.08	981	843	85.93
22.	उत्तर प्रदेश	172946	146965	84.98	1,22,784	1,03,635	84.40
23.	छत्तीसगढ़	46590	30779	66.06	45,973	37,401	81.35
24.	अरुणाचल प्रदेश	5725	3450	60.26	2,915	2,289	78.52
25.	त्रिपुरा	8932	4687	52.47	4,536	3,365	74.18
26.	मध्य प्रदेश	66896	40195	60.09	93,419	68,991	73.85
27.	मिजोरम	1594	1370	85.95	2,556	1,862	72.85
28.	पश्चिम बंगाल	91046	36745	40.36	74,109	53,775	72.56
29.	राजस्थान	53179	29150	54.81	86,217	58,673	68.05
30.	ओडिशा	53823	29176	54.21	53,997	36,457	67.52
31.	असम	34941	12703	36.36	42,405	27,217	64.18
32.	मेघालय	4563	2765	60.60	13,224	7,542	57.03
33.	झारखंड	38432	1756	4.57	41,408	7,449	17.99
कुल		**11,17681**	**8,64,439**	**77.34**	**10,29,121**	**8,45,046**	**82.11**

1.58 इस विशेष प्रश्न कि विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लक्ष्य हासिल करने में कौन से कारक बाधक हैं,विभाग ने बताया कि बहु-ग्राम योजनाओं की लंबी निर्माण पूर्व अवधि, पानी की गुणवत्ता से प्रभावित पेयजल स्रोत, राष्ट्रव्यापी कोविड-19 महामारी, संबद्ध लॉकडाउन, आदि ने स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों के कवरेज के लिए कार्यान्वयन की गति को प्रभावित किया है।

(बारह) ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत भवनों, सामुदायिक केंद्रों, स्वास्थ्य केंद्रों, वेल नेस सेंटरों को पाइप से जलापूर्ति

1.59 जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी ग्राम पंचायत भवनों, सामुदायिक केंद्रों, स्वास्थ्य केंद्रों, वेलनेस सेंटरों को पाइप से जलापूर्ति से कवर किया जा रहा है ।इस संदर्भ में समिति द्वारा यह पूछे जाने पर कि इनमें से कितने नल जल आपूर्ति से कवर हैं, विभाग ने

बताया कि दिनांक 09.02.2022 तक, लगभग 3.40 लाख स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक केन्द्रों, आरोग्य केन्द्रों, ग्राम पंचायत भवनों में पाइप द्वारा जलापूर्ति उपलब्ध कराई जा चुकी है।

1.60 रिपोर्ट किए गए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण निम्नवत है :-

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आश्रमशाला, ग्राम पंचायत भवन/पंचायत घर, स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक केंद्र, अन्य सरकारी कार्यालय		
		कुल	नल जल आपूर्ति वाले संस्थान	कवरेज %
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	292	292	100.00
2.	आंध्र प्रदेश	26,457	26,457	100.00
3.	अरुणाचल प्रदेश	4,832	3,553	73.53
4.	असम	2,559	628	24.54
5.	बिहार	10,677	10,141	94.98
6.	छत्तीसगढ़	24,871	15,674	63.02
7.	दादरा और नगर हवेली	190	190	100.00
8.	गोवा	388	388	100.00
9.	गुजरात	4	4	100.00
10.	हरियाणा	21,929	19,419	88.55
11.	हिमाचल प्रदेश	8,274	8,268	99.93
12.	जम्मू एंव कश्मीर	6,820	5,265	77.20
13.	झारखंड	11,924	5,722	47.99
14.	कर्नाटक	12,773	12,083	94.60
15.	केरल	176	176	100.00
16.	लद्दाख	929	219	23.57
17.	मध्य प्रदेश	14,842	9,745	65.66
18.	महाराष्ट्र	29,614	22,003	74.30
19.	मणिपुर	16	16	100.00
20.	मेघालय	611	416	68.09
21.	मिजोरम	863	716	82.97
22.	नागालैंड	1,186	655	55.23
23.	ओडिशा	25,856	19,130	73.99
24.	पुदुचेरी	306	294	96.08
25.	पंजाब	3,109	2,426	78.03
26.	राजस्थान	30,925	20,717	66.99
27.	सिक्किम	700	700	100.00
28.	तमिलनाडु	74,831	74,831	100.00
29.	तेलंगाना	13,281	13,281	100.00
30.	त्रिपुरा	1,390	1,352	97.27
31.	उत्तर प्रदेश	1,11,528	53,909	48.34

32.	उत्तराखंड	5,944	4,445	74.78
33.	पश्चिम बंगाल	7,054	6,948	98.50
	कुल	**4,55,151**	**3,40,063**	**74.71**

(तेरह) तृतीय पक्षकार निरीक्षण

1.61 इस विशेष प्रश्न कि क्या सभी राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम) ने कार्यान्वियन एजेंसियों द्वारा निष्पादित कार्य की गुणवत्ता की जांच करने के लिए तृतीय पक्षकार सत्यापन एजेंसियों का पैनल बनाया है,विभाग ने बताया कि दिनांक 09.02.2022 की स्थिति के अनुसार नियोजित तृतीय-पक्षकार निरीक्षण एजेंसियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण निम्नवत है:-

जल जीवन मिशन: अब तक नियोजित तृतीय-पक्ष निरीक्षण एजेंसियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नियुक्त की गई एजेंसियों की संख्या
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1
2.	आंध्र प्रदेश	एनआर
3.	अरुणाचल प्रदेश	1
4.	असम	3
5.	बिहार	3
6.	छत्तीसगढ़	27
7.	गुजरात	एनआर
8.	हरियाणा	1
9.	हिमाचल प्रदेश	1
10.	जम्मू एंव कश्मीर	एनआर
11.	झारखंड	एनआर
12.	कर्नाटक	16
13.	केरल	9
14.	लद्दाख	एनआर
15.	मध्य प्रदेश	18
16.	महाराष्ट्र	एनआर
17.	मणिपुर	एनआर
18.	मेघालय	3
20.	मिजोरम	एनआर
21.	नागालैंड	एनआर
22.	ओडिशा	10
23.	पुदुचेरी	एनआर
24.	पंजाब	एनआर

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नियुक्त की गई एजेंसियों की संख्या
25.	राजस्थान	एनआर
26.	सिक्किम	1
27.	तमिलनाडु	9
28.	त्रिपुरा	एनआर
29.	उत्तर प्रदेश	5
30.	उत्तराखंड	5
31.	पश्चिम बंगाल	एनआर

एनआर: सूचित नहीं स्रोत: राज्य समीक्षाएं

(ख). स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

1.62 2 अक्तूबर 2019 तक खुले में शौचमुक्त (ओडीएफ) स्थिति प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ, महात्मा गांधी को उनकी 150वीं वर्षगांठ पर श्रद्धांजलि देने के रूप में, 2 अक्तूबर, 2014 को एसबीएम(जी) का शुभारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य जोर लोगों के बीच साफ-सफाई व्यवहार के प्रति व्यवहार में परिवर्तन लाना था। विश्व के सबसे बड़े व्यवहार परिवर्तन कहे जाने वाले, एसबीएम(जी) ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जीवन में योगदान करने वाले सभी क्षेत्रों से लोगों के साथ स्वयं को एक जन आंदोलन के रूप में परिवतर्तित कर दिया। इस कार्यकम के अंतर्गत, 10 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया तथा इसके परिणामस्वरूप, सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 2 अक्तूबर, 2019 तक स्वयं को ओडीएफ घोषित कर दिया।

1.63 साक्ष्य के दौरान ,पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के प्रतिनिधि ने निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार समिति को 2014 से 2022 (21.02.2022) तक एसबीएम (जी) के तहत निर्मित घरेलू शौचालयों के विवरण से अवगत कराया: -

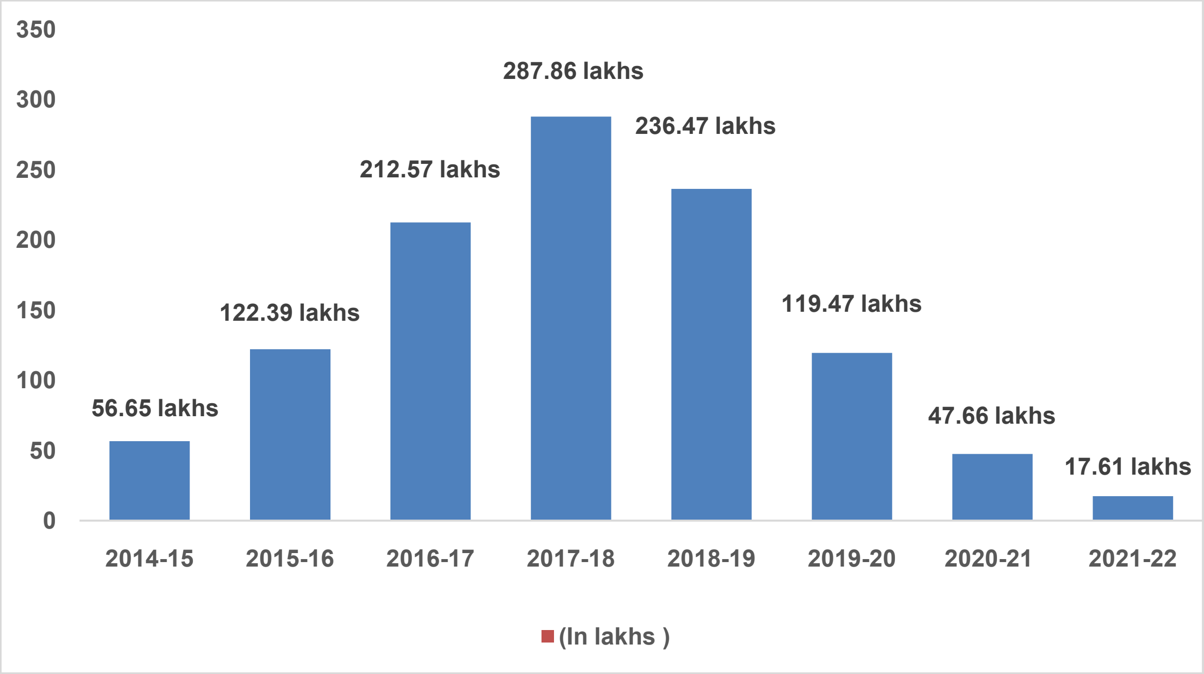

1.64 देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ओडीएफ स्थिति का बृहत लक्ष्य हासिल करने के पश्चात्, भारत सरकार ने 19 फरवरी, 2020 को एसबीएम(जी) के चरण-II का अनुमोदन किया जिसका 2020-21 से 2024-25 तक कार्यान्वयन किया जाना था और इसका जोर ओडीएफ प्लस गांवों का सृजन करने पर था जिसमें ओडीएफ स्थायित्व और ठोस तथा तरल कचरा प्रबंधन (एसएलडब्लयूएम) वाले गांवों को शामिल किया जाना था। इस कार्यक्रम का लक्ष्य नए बने परिवारों को कवर करना और यह सुनिश्चित करना था कि कोई भी व्यक्ति शौचालयों की सुविधा से वंचित न रहे।

1.65 एसबीएम(जी) चरण-*II को* ओडीएफ प्लस गांव हासिल करने के लिए स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करने के लिए केंद्रीय और राज्य सरकार की वित्तपोषण और विभिन्न योजनाओं के भिन्न-भिन्न आयामों के बीच सामजंस्य के एक नोवल मॉडल के रूप में तैयार किया गया है। डीडीडब्ल्यूएस से बजटीय आबंटन और तदनुरूप राज्य के हिस्से के अलावा शेष निधियों को ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग के अनुदानों, मनरेगा और राजस्व सृजन मॉडलों आदि, विशेषकर एसएलडब्ल्यूएम के लिए, से जुटाया जाएगा।

(एक) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-1 के तहत प्रावधान

1.66 एसबीएम (ग्रामीण) के मुख्य घटक निम्नानुसार है:

नए पात्र परिवारों, गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवार और गरीबी रेखा से ऊपर के पहचाने गए परिवार अर्थात् अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति परिवार शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति के परिवार, छोटे घरों

वाले भूमिहीन श्रमिक, लघु और पिछड़े किसान तथा महिला प्रधान परिवार) को व्यक्तिक घरेलू इकाई के निर्माण के लिए 12,000 रुपये (तक प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। अन्य परिवार इससे प्रेरित होकर अपने लिए शौचालय का निर्माण करवा सकेंगे।

इस कार्यक्रम के तहत आवश्यकता आधार पर सामुदायिक स्वच्छता परिसर (सीएससी) का निर्माण उन घरों की स्वच्छता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा जिनके पास जगह की कमी है या अस्थायी प्रवासी आबादी के लिए, या उन स्थानों पर जहां लोगों की आमतौर पर भीड़ रहती है ताकि गांवों की ओडीएफ स्थिति को बनाए रखा जा सके। सीएससी के निर्माण के लिए, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति बहुल बसावटों, गांव की गरीब बसावटों, और या प्रवासी मजदूरों अस्थायी आबादी आदि बसावदो को प्राथमिकता दी जाएगी।

ठोस कचरा प्रबंधन गतिविधियां जैव-अपघटित कचरा और गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरे के संग्रह और अलगाव को कवर करेंगी। गोबरधन के तहत घरेलू और सामुदायिक स्तर के कम्पोस्ट पिट्स और जैव-गैस संयंत्र के माध्यम से जैव-अपघटित कचरे का प्रबंधन और निपटान किया जाएगा। गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरे के प्रबंधन के तहत ग्रामीण स्तर पर भंडारण इकाइयों और ब्लॉक स्तर पर सामग्री पुनर्प्राप्ति केंद्र की व्यवस्था की जाएगी।

तरल कचरा प्रबंधन गतिविधियों के तहत, घरेलू और सामुदायिक स्तर के सोक पिट्स, कचरा स्थिरीकरण तालाबों, डीईडब्ल्यूएटीएस आदि के माध्यम से ग्रे-वाटर का प्रबंधन किया जाएगा।

यह कार्यक्रम मलीय कचरे के ऑफसाइट शोधन के लिए जिला स्तर पर सलीय कचरा प्रबंधन के लिए भी व्यवस्था करेगा।

इस कार्यक्रम के तहत ग्रामीण आबादी के लिए स्वच्छता व्यवहार और कचरा प्रबंधन पर ओडीएफ स्थिति बनाए रखने और जागरूकता सृजन के लिए गहता आइइसी गतिविधियां जारी रखी जाएंगी। ओडीएफ प्लस गांवों के वांछित परिणामों को हासिल करने के लिए विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों, पंचायती राज संस्थाओं और फील्ड स्तर के कार्मिकों का क्षमता निर्माण किया जाएगा।

1.67 पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के प्रतिनिधि ने साक्ष्य के दौरान पावर-प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से एसबीएम (जी) चरण ॥ के तहत गांव को ओडीएफ प्लस घोषित करने के लिए अपनाई गई व्यवस्था से समिति को अवगत कराया: -

ओडीएफ प्लस गांवों की प्रगति को तीन श्रेणियों में निम्नानुसार कैप्चर किया जा रहा है:

(i) ओडीएफ प्लस - आकांक्षी-उदीयमान: एक गांव जो:

- ✓ ओडीएफ स्थिति को बनाए रखता है;
- ✓ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन या तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए व्यवस्था है।

(ii) ओडीएफ प्लस - राइजिंग-उज्वल: एक गांव जो:

- ✓ ओडीएफ स्थिति को बनाए रखना;

- ✓ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन या तरल अपशिष्ट प्रबंधन दोनों की व्यवस्था है।

(iii) ओडीएफ प्लस - मॉडल-उत्कृष्ट :एक गाँव जो:

- ✓ ओडीएफ स्थिति को बनाए रखता है;
- ✓ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन या तरल अपशिष्ट प्रबंधन दोनों की व्यवस्था है।
- ✓ ओडीएफ प्लस आईईसी संदेश प्रदर्शित करता है

1.68 विभाग के प्रतिनिधि ने एसबीएम (जी) के चरण- II के तहत वास्तविक प्रगति के बारे में पावर-पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से समिति को निम्नानुसारअवगत कराया : -

(i) आईएचएचएल का निर्माण	65.27 लाख
(ii) सामुदायिक स्वच्छता परिसरों (सीएससी) का निर्माण	1,18,629
(iii) गांवों को ओडीएफ प्लस घोषित किया गया (आकांक्षी-26831; राइजिंग-3687 और मॉडल-10797)	41,315
(iv) एसडब्ल्यूएम व्यवस्थाओं से कवर किए गए गांव	48542
(v) एलडब्ल्यूएम व्यवस्थाओं से कवर किए गए गांव	23549

1.69 विभाग के प्रतिनिधि ने आगे बताया कि 2020-21 और 2021-22 में कोविड-19 महामारी के बार-बार होने से एसबीएम (जी) के दूसरे चरण के तहत कार्यक्रम के कार्यान्वयन की गति में काफी हद तक बाधा उत्पन्न हुई।

(दो) एसबीएम-चरण (जी)II के तहत वित्तपोषण मानदंड

1.70 कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार एसबीएम(जी) चरण-IIके तहत विभिन्न घटक और इनका वित्तपोषण मानदंड निम्नवत हैं:

घटक		वित्तीय सहायता (केंद्र और राज्य का हिस्सा तथा 15वें वित्त आयोग के अनुदान)	
आईएचएचएल के निर्माण के लिए प्रोत्साहन		**12,000/-** रुपये तक (स्वच्छता बनाए रखने के लिए हाथ धोने और सफाई हेतु जल भंडारण सुविधा के लिए प्रावधान सहित)	
		गांव का आकार	वित्तीय सहायता
		5000 की आबादी तक	ठोस कचरा प्रबंधन: प्रति व्यक्ति 60 रुपये तक *ठोस कचरे के संग्रहण, पृथक्करण और भंडारण तथा बायो-डिग्रेडेबल*

एसएलडब्ल्यूएम गतिविधियां	**ग्राम स्तरीय एसएलडब्ल्यूएम गतिविधियां**		*कचरे की कम्पोस्टिंग के लिए* गंदला जल प्रबंधन: प्रति व्यक्ति 280 रुपये तक *गंदले जल के निपटान के लिए सोख गड्ढों, डब्ल्यूएसपी, डीईडब्ल्यूएटीएस आदि के निर्माण के लिए*
		5000 से अधिक आबादी	ठोस कचरा प्रबंधन: प्रति व्यक्ति 45 रुपये तक *ठोस कचरे के संग्रहण, पृथक्करण और भंडारण तथा बायो-डिग्रेडेबल कचरे की कम्पोस्टिंग के लिए* गंदला जल प्रबंधन: प्रति व्यक्ति 660 रुपये तक *गंदले जल के निपटान के लिए सोख गड्ढों, डब्ल्यूएसपी, डीईडब्ल्यूएटीएस आदि के निर्माण के लिए*
	जिला स्तरीय एसएलडब्ल्यूएम गतिविधियां	प्लास्टिक कचरा प्रबंधन एकक *(प्रत्येक ब्लॉक में एक)*	प्रति एकक 16 लाख रुपये तक
		मलीय गाद प्रबंधन (एफएसएम)	प्रति व्यक्ति 230 रुपये तक मलीय गाद शोधन संयंत्र की स्थापना के लिए
		गोबर-धन परियोजनाएं	प्रति जिला 50 लाख रुपये तक
सामुदायिक स्वच्छता परिसर (सीएससी)		3 लाख रुपये सीएससी की स्थापना के लिए ग्राम पंचायतें समुचित तंत्र के माध्यम से सीएससी के ओएंडएम के लिए उत्तरदायी हैं	
आईईसी और क्षमता निर्माण		कार्यक्रम संबंधी घटकों के लिए कुल वित्तपोषण का 5% तक	

	(3% तक का उपयोग राज्य/जिला स्तरों पर और 2% तक का उपयोग केंद्रीय स्तर पर किया जाना है)
प्रशासनिक व्यय	कार्यक्रम संबंधी घटकों के लिए कुल वित्तपोषण का 1% तक

(तीन) वित्तीय निष्पादन

1.71 2018-19 से एसबीएम (जी) के तहत बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक निर्मुक्ति निम्नवत हैं : -

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	वित्तीय निष्पादन		
	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक
2018-19	15343.00	14478.03	12932.96
2019-20	9994.00	8338.22	8245.75
2020-21	9994.10	6000.00	4946.97
2021-22	9994.10	6000.00	*2100.00
2022-23	7192.00	--	--

^ दि.*21.02.2022* की स्थिति के अनुसार

1.72 यह पूछे जाने पर कि संशोधित अनुमान स्तर पर 9994.10 करोड़ रुपए को कम करके 6000 करोड़ रुपए करने के बाद भी,चालू वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान निधियों का उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं , विभाग ने निम्नवत बताया :-

"एसबीएम(जी) के तहत, राज्यों को उनकी मांगों, कार्यक्रम के तहत निधियों की उपलब्धता और राज्यों के कार्य-निष्पादन के आधार पर निधियां जारी की जाती हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान, कोविड-19 की पुनरावृत्ति के कारण एसबीएम(जी) के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न हुई, जिसके कारण राज्य अनुमानित लक्ष्यों के अनुसार निधियों का उपयोग करने में असमर्थ रहे। इसलिए, चालू वित्त वर्ष के दौरान निधियों का उपयोग कम रहा है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग निधियों के उपयोग में तेजी लाने और बेहतर कार्य-निष्पादन वाले राज्यों की निगरानी करने के लिए निरंतर रूप से राज्यों के साथ मिलकर मामले को देख रहा है ताकि उन्हें निधियां जारी की जा सकें।"

1.73 यह पूछे जाने पर कि संशोधित अनुमान स्तर पर कटौती की प्रवृत्ति को देखते हुए, विभाग द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर निधियों में कमी से बचने के लिए समय पर निधि आबंटन का उपयोग करने के लिए क्या नीतिगत पहलें की गई हैं,विभाग ने निम्नवत सार दिया :-

"राज्यों को कार्यक्रम के तहत निधियों के उपयोग में तेजी लाने में सक्षम बनाने के लिए डीडीडब्ल्यूएस द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप डीडीडब्ल्यूएस द्वारा समय पर बजट आबंटन जारी किया जा सकता है:

(क) विभिन्न बैठकों में राज्यों के साथ चर्चा और एसएलडब्ल्यूएम गतिविधियों को शुरू करने और उन पर निधियों के उपयोग के लिए राज्यों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों के संबंध में राज्यों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर, राज्यों को गांव, ब्लॉक, जिला स्तर पर एसएलडब्ल्यूएम गतिविधियों के लिए निधियों के उपयोग के लिए लचीलापन प्रदान करने हेतु दिशा-निर्देशों में संशोधन किया गया है।

(ख) एसबीएम(जी) के तहत, सभी राज्यों ने सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को कार्यान्वित कर दिया है और कार्यक्रम के तहत सभी लेनदेन करने के लिए राज्य स्तर पर एकल नोडल खाता खोला है ताकि निचले स्तर की एजेंसियों (जिलों/ब्लॉकों/ग्राम पंचायत) में धनराशि के जमा होने से बचा जा सके और बेहतर वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। उम्मीद है कि इससे उपयोग की गति में वृद्धि होगी और केंद्र के हिस्से की निधियों को समय पर जारी करना सुनिश्चित किया जाएगा।

(ग) कार्यक्रम के कार्यान्वयन में तेजी लाने और निधियों का प्रभावी उपयोग करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों और प्रधान सचिव नोडल विभाग/सचिवों के साथ कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं ताकि कार्यक्रम के कार्यान्वयन में आ रही चुनौतियों को समझने और मुद्दों का समाधान करने में उनकी मदद की जा सके। "

1.74 समिति ने जानने की इच्छा जताई कि क्या 2022-23 के लिए वर्तमान आवंटन एसबीएम (जी) के चरण- II के तहत बनाए गए स्वच्छता बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता और स्थिरता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, विभाग ने सूचित किया कि,मौजूदा परिदृश्य में, एसबीएम(जी) के लिए 2022-23 हेतु 7192 करोड़ रुपए का आबंटन पर्याप्त प्रतीत होता है, राज्यों के कार्यनिष्पादन और अपेक्षा के आधार पर, यदि अतिरिक्त निधियां अपेक्षित हों, तो उनकी अनुपूरक अनुदानों के माध्यम से मांग की जाएगी।

1.75 इसके अलावा ,समिति ने जानने की इच्छा जताई कि क्या धनराशियों का इष्टतम उपयोग करने के लिए आवश्यक योजनाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है, विभाग ने **निम्नवत** सूचित किया :-

"डीडीडब्ल्यूएस द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए एसबीएम(जी) के लिए आउटपुट-आउटकम फ्रेमवर्क तैयार कर लिया गया है। तथापि, एसबीएम(जी) आपूर्ति आधारित के बजाय एक मांग आधारित कार्यक्रम है। अत: राज्यों की मांगों को हर वर्ष वार्षिक कार्यान्वयन योजना (एआईपी) के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। राज्यों से वर्ष 2022-23 के लिए एआईपी प्राप्त की जा रही हैं।"

1.76 इस विशेष प्रश्न कि क्या राज्य अपने हिस्से की निधियों को पर्याप्त रूप से और समय पर जारी करते है, विभाग ने सूचित किया कि अधिकांश राज्य, राज्य का हिस्सा समय पर जारी करते हैं। वर्तमान में केवल तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के संबंध में राज्य के हिस्से में कमी है। जल शक्ति मंत्री की ओर से मुख्यमंत्रियों और सचिव, डीडीडब्ल्यूएस की ओर से इन राज्यों के मुख्य सचिवों को अ.शा.पत्र लिखे गए हैं। सचिव,डीडीडब्ल्यूएस ने इन राज्यों के मुख्य सचिवों और वित्त सचिवों के साथ बैठकें की भी हैं।

(चार) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)चरण-IIके लक्ष्यों को प्राप्त करने में चुनौतियाँ

1.77 समिति द्वारा यह पूछे जाने पर कि विभाग को किन समस्याओं/अड़चनों का सामना करना पड़ा है,विभाग ने निम्नवत बताया :-

"चूंकि, एसबीएम(जी) चरण-IIमें एसएलडब्ल्यूएम गतिविधियों के तहत विभिन्न नए मध्यवर्तन शामिल हैं, इसलिए चरण-Iकी तुलना में इस चरण की प्रकृति जटिल है। इसलिए, एसबीएम(जी) चरण-IIके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख चुनौतियाँ हैं:

i. एसएलडब्ल्यूएम गतिविधियों की योजना और कार्यान्वयन के संबंध में विभिन्न स्तरों पर कार्यान्वयन एजेंसियों और कार्मिकों की क्षमता निर्माण
ii. भारत की विशाल और विविध भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न मध्यवर्तनों के लिए प्रौद्योगिकी समाधान
iii. कार्यक्रम के तहत परिकल्पित प्लास्टिक कचरा प्रबंधन और मलीय कचरा प्रबंधन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मौजूदा परिसंपत्तियों के उपयोग के लिए शहरी क्षेत्रों के साथ सामंजस्य के लिए राज्य और जिला स्तर पर शहरी समकक्षों के साथ समन्वय
iv. ग्रामीण स्थानीय निकायों को (आरएलबी)15वें वित्त आयोग के अनुदानों का 60% जल एवं स्वच्छता के लिए सशर्त अनुदान के रूप में आबंटित किया गया है, जिसमें से आधा 2021-22 से 2025-26 की अवधि में 71,042 करोड़ रुपये स्वच्छता के लिए आबंटित किया गया है। इन अनुदानों का उपयोग आरएलबी द्वारा ओडीएफ प्लस के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एसबीएम(जी) कार्यान्वयन एजेंसियों के समन्वय में उचित और प्रभावी ढंग से किया जाना है।

1.78 इसके अलावा,यह पूछे जाने पर कि क्या इन चुनौतियों से निपटने के लिए विभाग द्वारा कोई कदम / पहल की गई है,विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नानुसार सूचित किया: -

"डीडीडब्ल्यूएस ने कार्यक्रम के सुचारू कार्यान्वयन के लिए राज्यों को उपरोक्त चुनौतियों से निपटने में मदद करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

i. आईईसी और क्षमता निर्माण के लिए कार्यक्रम निधि का 3% आबंटित किया गया है। राज्यों को आईईसी और क्षमता निर्माण निधि का उपयोग करके विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाली कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों को किराए पर लेने की सलाह दी गई है।
ii. डीडीडब्ल्यूएस द्वारा विभिन्न मध्यवर्तनों के संबंध में प्रौद्योगिकी नियमावली तैयार की गई है और राज्यों को जारी की गई है।प्रौद्योगिकी नियमावली की मुख्य सूचना के प्रचार-प्रसार के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है।
iii. डीडीडब्ल्यूएस तथा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा मलीय कचरा प्रबंधन और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए अभिसरण कार्य योजना के लिए एक संयुक्त परामर्शिका जारी की गई है।
iv. डीडीडब्ल्यूएस ने जल एवं स्वच्छता के लिए 15वें वित्त आयोग से सशर्त अनुदान के उपयोग के लिए नियमावली जारी की है। पंचायती राज मंत्रालय के साथ नियमित अनुवर्तन के साथ, ई-ग्राम स्वराज पोर्टल में ग्राम पंचायत विकास योजना के हिस्से के रूप में स्वच्छता योजना में प्रवेश हेतु समर्पित

प्रावधान किया गया है और ई-ग्राम स्वराज में स्वच्छता योजना दर्ज करने के संबंध में पंचायती राज संस्थाओं को प्रशिक्षण दिया गया है।”

(पाँच) व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय (आईएचएचएल)

1.79 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)) चरण- II के तहत, नए परिवार के रूप में चिन्हित परिवारों/ छूटे हुए परिवारों, जिन्हें जिले द्वारा अनुमोदित किया जाएगा ,वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों के निर्माण हेतु ग्राम पंचायत द्वारा मदद दी जाएगी । एक विधिवत रूप से निर्मित वैयक्तिकपारिवारिक शौचालय में (i) एक अधः संरचना (जिसमें मानव मल को सुरक्षित रूप से एकत्रित किया जाता है और माल के पूरी तरह से विघटित होने से पहले मानव द्वारा इसके निकाले जाने की आवश्यकता को समाप्त करता है), (ii) एक ऊपरी संरचना, और (iii) हाथ धोने के लिए जल भंडारण की सुविधा की व्यवस्था जिससे समुचित व्यक्तिगत साफ--सफाई सुनिश्चित हो सके,होगी। इस मिशन का लक्ष्य सभी ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित शौचालय उपलब्ध कराना है और इसलिए शौचालय के चयन में सुरक्षित तकनीकी विकल्पों का होना एक महत्वपूर्ण घटक है। ट्विन पिट, सोक पिट युक्त सेप्टिक टैंक, इको-सैन और बायो-शौचालयआदि कई सुरक्षित स्वच्छता तकनीक उपलब्ध हैं ।हालांकि भारत सरकार टोपोग्राफ़ी , भूजल स्तर, मिट्टी की स्थिति आदि के आधार पर राज्यों को उपयुक्त तकनीक का चयन करने की छूट देती है, उचित रूप से निर्मित ट्विन पिट शौचालयों के कई लाभ हैं जैसे कम लागत,आसानी से निर्माण और कम पानी की खपत ।

1.80 विभाग ने सूचित किया कि सभी बीपीएल और चिन्हित एपीएल परिवार (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवार, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति वाले परिवार, छोटे मकान वाले भूमिहीन मजदूर, छोटे और सीमांत किसान और महिला मुखिया वाले परिवार) आईएचएचएल की एक इकाई के निर्माण जिसमें स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए हाथ धोने और सफाई के लिए जल भंडारण सुविधा शामिल है ,के लिए 12,000/-रुपये तक की प्रोत्साहन राशि के पात्र होंगे ।

1.81 यह पूछे जाने पर कि क्या शौचालयों के निर्माण के लिए प्रोत्साहन राशि अथवा प्रोत्साहन राशि बढ़ाने के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/अलग-अलग व्यक्तियों से कोई अनुरोध/प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, विभाग ने निम्नवत बताया -:

“स्वच्छता एक व्यवहारगत मुद्दा है। लोगों को शौचालयों के निरंतर उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए स्वयं शौचालयों का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शौचालयों की निर्माण लागत पर ध्यान दिए बिना 12,000/- रुपये की प्रोत्साहन धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। तथापि, राज्यों को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की छूट दी गई है।एसबीएम(जी) चरण-IIके तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आईएचएचएल के लिए प्रोत्साहन धनराशि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।”

1.82 स्वच्छ भारत मिशन (मीणग्रा)के तहत सभी निर्मित शौचालयों में जल आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछे जाने पर , विभाग ने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया :-

"डीडीडब्ल्यूएस द्वारा जारी एसबीएम(जी) चरण-।।के कार्यसंबंधी दिशा-निर्देशों में यह प्रावधान किया गया है कि एक शौचालय में हाथ धोने और सफाई के लिए पानी के भंडारण की सुविधा होनी चाहिए। वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील पारिवारिक नल कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन (जेजेएम) का कार्यान्वयन भी किया जा रहा है।"

(छह) **सामुदायिक स्वच्छता परिसर (सीएससी)का निर्माण**

1.83 विभाग ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सीएससी के निर्माण के लिए 3 लाख रुपये प्रति सामुदायिक स्वच्छता परिसर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें 70%एसबीएम(जी) चरण- ।।के तहत वहन की जाएगी और 30% का वहन ग्राम पंचायत द्वारा 15वें वित्त आयोग के अनुदान से किया जाएगा। पिछले पांच वर्षों के दौरान निर्मित सीएससी के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

वर्ष	**सामुदायिक स्वच्छता परिसर (सीएससी)**	
2017-18	36,424	3,901
2018-19	68,625	12,522
2019-20	87,977	52,868
2020-21	1,31,782	97,757
2021-22	1,03,136	18,523 (21.01.2022 तक)

1.84 उपर्युक्त संदर्भ में,वर्ष 2021-22 के दौरान केवल 18,523 सीएससी का ही निर्माण करने कारण के बारे में पूछे जाने पर ,विभाग ने निम्नवत बताया:-

"एसबीएम(जी) के तहत यह प्रयास करना होगा कि सभी ग्रामीण परिवारों में व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय हों। इसलिए, व्यक्तिगत शौचालय वाले 100% घरों को हासिल करने पर, कई गांवों में सामुदायिक स्वच्छता परिसर (सीएससी) की आवश्यकता नहीं भी हो सकती है। इसलिए, सभी गांवों में सीएससी के प्रावधान की आवश्यकता नहीं हो सकती है; यह अस्थायी आबादी, बड़ी सार्वजनिक सभा, शौचालय के लिए पर्याप्त जगह न होने वाले परिवारों, आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यकता पर आधारित है।राज्यों ने अपने एआईपी में केवल अनुमानित लक्ष्यों का अनुमान लगाया है। तथापि, डीडीडब्ल्यूएस नियमित रूप से राज्यों को ऐसे स्थानों पर सीएससी के निर्माण की सलाह दे रहा है जहां इसकी स्पष्ट आवश्यकता है और इसका प्रचालन व रख-रखाव सुनिश्चित किया जाता है।"

1.85 देश के मैदानी तथा पर्वतीय दोनों क्षेत्रों में एक सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण की अनुमानित औसत लागत के बारे में समिति द्वारा पूछे जाने पर , विभाग ने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया :-

"सीएससी की लागत विभिन्न कारकों जैसे शौचालय सीटों की संख्या, प्रौद्योगिकी और सामग्री, शौचालयों के स्थान आदि के आधार पर भिन्न हो सकती है। हालांकि, भारत सरकार ने हाल के दिनों में सीएससी की लागत के लिए कोई आकलन नहीं किया है, सीएससी की लागत जैसा कि विभिन्न राज्यों द्वारा मूल्यांकन किया गया है, 2 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक भिन्न होती है। चूंकि स्वच्छता राज्य का विषय है, अत: एसबीएम(जी) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। कार्यक्रम के तहत सीएससी के निर्माण के लिए 3 लाख रुपये की वित्तीय सहायता, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की स्थिति में सुधार के लिए राज्य की सहायता करने के लिए सरकार का एक प्रयास है। राज्यों/ग्राम पंचायतों के पास आरएलबी को वित्त आयोग अनुदान, एमपीलैड/एमएलएएलएडी, सीएसआर निधियों या केंद्र/राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के साथ सामंजस्य के माध्यम जैसे अन्य स्रोतों से अतिरिक्त धन उपलब्ध करा सकते है। राज्यों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल उपयुक्त तंत्र और प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए छूट दी गई है।"

1.86 आगे ,विभाग ने बताया कि केवल सीएससी के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सीएससी के प्रचालन व रख-रखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों के पास है। ग्राम पंचायतों को सीएससी के प्रचालन व रख-रखाव को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त तंत्र अपनाना है, जिसमें एसएचजी को शामिल करना, व्यक्ति/एजेंसी को काम पर रखना, व्यवसाय मॉडल आदि शामिल किए जा सकते हैं।

(सात) ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन(एस एल डब्ल्यूएम)

1.87 ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) स्वच्छ गाँव बनाने के कार्यक्रम के प्रमुख घटकों में से एक है। राज्यों को ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आईईसी हस्तक्षेप को बढ़ावा देना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप समुदाय/ग्राम पंचायत को इस तरह की प्रणाली की मांग करने के लिए प्रेरित किया जाता है और राज्यों को भी इन प्रणालियों को संचालित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए पंचायतों को सुसज्जित करने के लिए क्षमता निर्माण प्रदान करना चाहिए।

1.88 वर्ष 2021-22 के दौरान, वार्षिक क्रियान्वयन योजना (एआईपी) की तुलना में उपलब्धि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से आच्छादित गांवों की संख्या		**तरल अपशिष्ट प्रबंधन से आच्छादित गांवों की संख्या**	
2021-22 के लिए एआईपी लक्ष्य	**उपलब्धियां**	**2021-22 के लिए एआईपी लक्ष्य**	**उपलब्धियां**
2,07,945	46,347	1,82,517	21,734

1.89 वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य सरकारों द्वारा ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत इतने न्यूनतम निष्पादन के कारण के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने निम्नवत बताया :-

"चूँकि राज्यों का आशय वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कार्य शुरू करने का है, अत: उन्होंने एसएलडब्ल्यूएम के लिए अपनी एआईपी में लक्ष्यों को परियोजित किया है। तथापि, विभिन्न समीक्षा

बैठकों में राज्यों द्वारा किए गए प्रकटीकरण के अनुसार, एसएलडब्ल्यूएम गतिविधियाँ करने में आने वाली कठिनाइयों और कोविड-19 महामारी का पुन: प्रसार होने के कारण भी जमीनी स्तर पर इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन प्रभावित हुआ है और प्रगति धीमी रही है। तथापि, राज्यों ने संभाव्य सीमा लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एसएलडब्ल्यूएम गतिविधियां करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई है।"

1.90 **7.2.2022 तक ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) से कवर गांवों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या** निम्नवत है :-

क्र.संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से कवर गांव	तरल अपशिष्ट प्रबंधन से कवर गांव
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	189	189
2	आंध्र प्रदेश	925	873
3	अरुणाचल प्रदेश	56	34
4	असम	69	12
5	बिहार	13	33
6	छत्तीसगढ	2218	2562
7	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	16	14
8	गोवा	0	0
9	गुजरात	1248	652
10	हरियाणा	531	498
11	हिमाचल प्रदेश	763	736
12	जम्मू एंड कश्मीर	1	0
13	झारखंड	258	276
14	कर्नाटक	4138	132
15	केरला	533	520
16	लद्दाख	0	0
17	लक्षद्वीप	0	0
18	मध्य प्रदेश	2477	2331
19	महाराष्ट्र	812	792
20	मनीपुर	5	5
21	मेघालय	485	412
22	मिजोरम	1	1
23	नागालैंड	4	0
24	ओडिशा	1719	2025
25	पुदुचेरी	46	1
26	पंजाब	171	392
27	राजस्थान	285	855
28	सिक्किम	11	11
29	तमिलनाडु	11227	162
30	तेलंगाना	14183	4455
31	त्रिपुरा	0	0
32	उत्तर प्रदेश	1868	1804

33	उत्तराखंड	2081	1956
34	पश्चिम बंगाल	14	1
कुल		**46347**	**21734**

1.91 **इसके अलावा ,विभाग ने** ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन के तहत **की** जा र**ही** विभिन्न गतिविधियों/कार्यों की गणना **निम्नवत की है :-**

"एसबीएम(जी) के तहत एसएलडब्ल्यूएम से संबंधित निम्नलिखित गतिविधियों की अनुमति है:

- ठोस कचरे के लिए संग्रह, पृथक्करण और भंडारण इकाइयाँ
- बायो-डिग्रेडेबल कचरे के प्रबंधन के लिए गोबर-धन के तहत कम्पोस्ट गड्ढा अथवा बायो-गैस संयंत्रों का निर्माण
- ग्रे वाटर प्रबंधन के लिए सामुदायिक सोख्ता गड्ढों का निर्माण/लीच गड्ढा अथवा बड़े कार्यकलाप जैसे कि अपशिष्ट स्थिरीकरण तालाब/डीवैट आदि का निर्माण
- गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरे के प्रबंधन के लिए ब्लॉक/जिला स्तर पर प्लास्टिक कचरा प्रबंधन यूनिटों/सामग्री पुनर्प्राप्ति केंद्रों की स्थापना
- सह-शोधन अथवा ट्रेंचिंग अथवा संयंत्रित अथवा गैर संयंत्रित सुखाने वाले बेड के माध्यम से मल गाद का प्रबंधन।"

(आठ) निगरानी तंत्र- सोशल ऑडिट

1.92 मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में छह माह में एक बार सोशल ऑडिट बैठक होगी। ग्राम पंचायतें इस कार्यक्रम का सोशल ऑडिट कराएंगी और इसमें सहायता करेंगी और इसमें सहयोग करेंगी। जिला और ब्लॉक इस कार्य का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे। पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा एसबीएम (जी) के तहत सामुदायिक भागीदारी और निगरानी के लिए,सामाजिक ऑडिट के उपयोग के लिए समय-समय पर जारी, सामाजिक ऑडिट मैनुअल की सहायता ली जा सकती है।

1.93 उपरोक्त विषय पर जब यह पूछा गया कि क्या देश की सभी ग्राम पंचायतों ने सोशल ऑडिट बैठकें आयोजित की हैं, विभाग ने निम्नानुसार सूचित किया:-

"डीडीडब्ल्यूएस ने सोशल ऑडिट मैनुअल को राज्यों के साथ साझा किया, जिसमें बताया गया है कि सोशल ऑडिट कैसे किया जाना चाहिए। सोशल ऑडिट पर कार्यशाला का आयोजन सभी राज्यों को उन राज्यों के अनुभव से सीखने का अवसर प्रदान करने के लिए भी किया गया था, जिन्होंने एसबीएम में सोशल ऑडिट और सामुदायिक नेतृत्व वाली निगरानी को बढ़ाया है। कुछ राज्यों नामत: मणिपुर, मेघालय, झारखंड, छत्तीसगढ़ ने सूचित किया है कि इन राज्यों के कुछ गांवों में सोशल ऑडिट किया गया है।"

पाँच. सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) गांवों में किया गया कार्य

1.94 यह पूछे जाने पर कि माननीय संसद सदस्यों (एमपी) द्वारा अंगीकृत गांव में दोनों महत्वपूर्ण योजनाओं का तेजी से कार्यान्वियन सुनिश्चित करने के लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं,विभाग ने बताया कि एसएजीवाई गांवों में किए गए कार्य का ब्यौरा निम्नवत है :-

"एसबीएम(जी): देश के सभी गांवों (एसएजीवाई गांवों सहित) ने 2.10.2019 को स्वयं को ओडीएफ घोषित कर दिया था।ओडीएफ के परिणाम प्राप्त करने के बाद, ओडीएफ स्थिति की स्थिरता पर ध्यान देने तथा 2024-25 तक सभी गांवों को ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था के साथ कवर करने के लिए अर्थात गांवों को ओडीएफ से ओडीएफ प्लस में बदलने के लिए एसबीएम(जी) चरण-।।को 2020-21 से शुरू किया गया था। एसबीएम(जी) चरण-।।के तहत, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एसएजीवाई गांवों में स्वच्छता की जरूरतों को पूरा करने के लिए उन गांवों को प्राथमिकता देने की सलाह दी गई है।

एसबीएम(जी) की ऑनलाइन आईएमआईएस पर राज्यों द्वारा रिपोर्ट किए गए डाटा के अनुसार, एसएजीवाई गांवों में 12.92 लाख आईएचएचएल और 3000 सीएससी का निर्माण किया गया है और 471 गांवों को पहले ही एसएलडब्ल्यूएम के साथ कवर किया जा चुका है।

<u>जेजेएम</u>**:** इस मिशन को एक 'जन आंदोलन' बनाने के लिए समुदाय को प्रेरित करने और उन्हें सशक्त बनाने में माननीय सांसदों/निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा निभाई जा सकने वाली भूमिका को ध्यान में रखते हुए, जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में उनकी भागीदारी के लिए प्रावधान किए गए है। इस प्रकार, केंद्रीयप्रायोजित 'जल जीवन मिशन' की आयोजना और क्रियान्वयन में माननीय सांसदों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 29 जनवरी, 2021 को विस्तृत एडवायजरी भी जारी की जा चुकी है। यह एडवायजरी विभाग की वेबसाइट @https://jalshakti-ddws.gov.in. पर उपलब्ध है। माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने भी माननीय सांसदों से जल जीवन मिशन को एक 'जन आंदोलन' बनाकर जल को हर व्यक्ति का कार्य बनाने में सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है। इससे जन भागीदारी सुनिश्चित करने तथा प्रत्येक ग्रामीण घर को नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता की निर्धारित मात्रा में पाइप से सुनिश्चित जलापूर्ति में मदद मिलेगी। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस विषय पर समय-समय पर अनुस्मारक भी जारी किए गए हैं।

दिनांक 09.02.2022 की स्थिति के अनुसार, एसएजीवाई गांवों में 30.43 लाख ग्रामीण परिवारों में से 16.19 लाख (53.22%) परिवारों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

भाग-दो

समिति की टिप्पणियाँ /सिफ़ारिशें

जल जीवन मिशन के बजटीय प्रावधान का विश्लेषण

समिति नोट करती है कि जल जीवन मिशन (जेजेएम) की घोषणा अगस्त, 2019 में की गई थी ताकि प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) के माध्यम से निश्चित और स्वच्छ पानी की आपूर्ति करने में सक्षम बनाया जा सके, जिसे राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में एक मिशन मोड में लागू किया जा रहा है। आज की तारीख तक, 19.18 करोड़ में से, 8.96 करोड़ (46.48%) ग्रामीण परिवारों को अपने घरों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति हो रही है। समिति को यह जानकर खुशी हो रही है कि हरियाणा, तेलंगाना, गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा एंड नगर हवेली और पुद्दुचेरी की राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों ने घरों को नल के पानी के कनेक्शन प्रदान करने का शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। समिति इस बात की भी सराहना करती है कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों ने 90% से अधिक घरेलू कवरेज प्राप्त कर लिया है और बहुत जल्द शत-प्रतिशत कवरेज प्राप्त करने की उम्मीद है। तथापि, समिति उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, असम, मध्य प्रदेश, केरल और तमिलनाडु जैसे बडे राज्यों की दुर्दशा पर चिंता व्यक्त करती है जो अपने परिवारों को 40% से कम एफएचटीसी प्रदान कर रहे हैं। इसलिए, समिति की इच्छा है कि विभाग इन राज्य सरकारों पर निर्धारित लक्ष्य वर्ष को ध्यान में रखते हुए सभी घरों को नल जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने के लिए दबाव डाले।

2.2 समिति आगे पाती है कि पेयजल और स्वच्छता विभाग की 91,258 करोड़ रुपये की राशि के आवंटन की मांग की तुलना में, वर्ष 2022-23 के लिए केवल 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि लगभग 53.52% ग्रामीण परिवारों को अभी भी विभिन्न राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) की आवश्यकता है, वर्ष 2022-23 के लिए जेजेएम के तहत आवंटन अपर्याप्त प्रतीत होता है क्योंकि प्रदान की गई बजटीय सहायता प्रारंभिक मांग की तुलना में 31,258 करोड़ रुपये कम है। इसलिए समिति विभाग से अनुरोध करती है कि वह आबंटित निधियों का यथाशीघ्र उपयोग करने का प्रयास करे ताकि उनके पास सं. अ. स्तर पर अतिरिक्त निधियों की मांग करने का पर्याप्त औचित्य हो।

(सिफारिश क्रम संख्या -1)

जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत निधियों का कम उपयोग

2.3 समिति नोट करती है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत, ब.अ. के चरण में 50,011 /- करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जिसे सं. अ. के चरण में घटाकर 45,011 /- करोड़ रुपये कर दिया गया था, जबकि वास्तविक व्यय केवल 28,238 /- करोड़ रुपये था। राज्यवार वित्तीय निष्पादन का विश्लेषण करते हुए, समिति पाती है कि केवल तीन राज्यों अर्थात हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय ने निधियों के केन्द्रीय आबंटन का शत प्रतिशत का उपयोग किया है, जबकि 11 राज्यों अर्थात त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, केरल, सिक्किम, नागालैंड, असम, ओडिशा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और मिजोरम ने केवल 50% से 75% का उपयोग किया है। इसके अलावा, समिति को यह जानकर आश्चर्यचकित होता है कि कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़,

महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे बडे राज्यों ने केन्द्रीय आबंटन के 25% से कम का उपयोग किया है। समिति निधियों के कम उपयोग को जानकर निराश है स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि वित्तीय विवेक और राजकोषीय अनुशासन की कमी रही है, इस प्रकार, समग्र रूप से कार्यक्रम के कार्यान्वयन और निगरानी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यह निस्संदेह लक्षित लाभार्थियों को उनके घरों में सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल की पहुंच से वंचित करता है। इसलिए, समिति ने निधि उपयोग से संबंधित ऐसे निराशाजनक निष्पादन को ध्यान में रखते हुए विभाग से इस योजना के तहत बेहतर कार्य निष्पादन प्राप्त करने के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उपयुक्त सुधारात्मक उपाय शुरू करने और समिति को इस संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत कराने का आग्रह करती है।

(सिफारिश क्रम संख्या-2)

जेजेएम के तहत वार्षिक कार्य योजनाओं (एएपी) को शीघ्र अंतिम रूप देना

2.4 समिति ने नोट करती है कि जेजेएम दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रत्येक वर्ष अप्रैल -मई तक अपनी वार्षिक कार्य योजनाओं को अंतिम रूप देना होता है। तत्पश्चात्, वर्ष भर में समय-समय पर निधियां जारी की जाती हैं और जल जीवन मिशन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए इन वार्षिक कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए नियमित क्षेत्र दौरे और समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। समिति नोट करती है कि जल जीवन मिशन (जेजेएम) ने 2024 तक देश भर में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) प्रदान करने के अपने कार्यान्वयन के तीसरे वर्ष में प्रवेश कर लिया है। समिति का यह सुविचारित मत है कि चूंकि वार्षिक कार्य योजना एक वार्षिक प्रक्रिया है, इसलिए निधियों के बेहतर उपयोग और निर्धारित समय-सीमा के अनुसार कार्यों/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को सक्षम बनाने के लिए उन्हें बिना किसी विलंब के समय पर पूरा किया जाना चाहिए। इसलिए समिति यह सिफारिश करती है कि विभाग को सभी राज्यों द्वारा अधिमानतः प्रत्येक वर्ष मार्च के अंत तक वार्षिक कार्य योजनाओं को शीघ्र अंतिम रूप देना सुनिश्चित करना चाहिए ताकि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्यों को पूरा करना सुनिश्चित किया जा सके।

(सिफारिश क्रम संख्या-3)

ग्राम कार्य योजना (वी ए पी) और ग्राम जल और स्वच्छता समितियां (वी डब्लू एस सी)

2.5 समिति का मानना है कि जेजेएम ग्राम पंचायत या ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) के तहत योजना प्रक्रिया में एक अभिन्न भागीदार है। गांव द्वारा तैयार की गई योजना, जिसे आमतौर पर ग्राम कार्य योजना (वीएपी) के रूप में जाना जाता है, भागीदारी दृष्टिकोण पर आधारित है। वीएपी का एकत्रीकरण जिला स्तर पर किया जाता है, और एक जिला कार्य योजना तैयार की जाती है और बदले में इन्हें फिर से राज्य स्तर पर एकत्रित किया जाता है। बहु-ग्राम योजना को गांवों के परामर्श से राज्य स्तर पर डिजाइन और योजनाबद्ध किया जा रहा है। इसी प्रकार, ग्राम पंचायत या इसकी उप-समिति/प्रयोक्ता समूह अर्थात् ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी)/पानी समिति को ग्राम जल आपूर्ति प्रणाली की योजना बनाने, कार्यान्वित करने, प्रबंधित करने, प्रचालन करने और बनाए रखने का अधिकार दिया गया है। विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, समिति ने नोट किया है कि देश में 6,04,631 लाख ग्रामीण गांव हैं, जिनमें से 4,68,366 लाख (77%) ग्रामीण गांवों ने वीडब्ल्यूएससी का गठन किया है और 3,79,280 लाख (62%) ग्रामीण गांवों ने 09.02.2022 की स्थिति के अनुसार ग्राम कार्य योजनाएं तैयार की हैं। समिति अपनी चिंता व्यक्त करती है कि मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों में वीएपी/वीडब्ल्यूएससी तैयार करने/स्थापित

करने में बहुत खराब प्रगति हुई है। समिति का सुविचारित मत है कि वीएपी और वीडब्ल्यूएससी की तैयारी/गठन बहुत महत्वपूर्ण है और जब तक इन्हें पूरा नहीं किया जाता/स्थापित नहीं किया जाता है और जब तक कि इन्हें पूरे देश में पूरा/स्थापित और कार्यात्मक नहीं बनाया जाता है, तब तक लक्ष्य को समय सीमा के भीतर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, वीएपी और वीडब्ल्यूएससी योजना की निगरानी और कार्यान्वयन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जल जीवन मिशन की सफलता में महत्वपूर्ण कड़ी हैं। इसलिए समिति विभाग से इस मामले को गंभीरता से लेने और जल्द से जल्द वीडब्ल्यूएससी और वीएपी के गठन/तैयारी के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से एक समयबद्ध योजना तैयार करने और समिति को इस संबंध में उठाए गए कदमों से भी अवगत कराने की सिफारिश करती है।

(सिफारिश क्रम संख्या-4)

<u>स्थानीय समुदायों से *प्रयोक्ता प्रभार* शुल्क को माफ करना</u>

2.6 समिति नोट करती है कि जेजेएम के मौजूदा दिशा-निर्देशों के तहत ग्राम पंचायत और अथवा वीडब्ल्यूएससी/पानी समिति/प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा गांवों में कार्यान्वित की जाने वाली ग्राम पाइप द्वारा जलापूर्ति अवसंरचना और इससे संबंधित संसाधनों के विकास के लिए, स्थानीय समुदायों के पहाड़ी/वनाच्छादित क्षेत्रों, पूर्वोत्तर/हिमालयी राज्यों और 50% से अधिक अनुसूचित जातियों और/या अनुसूचित जनजातियों की आबादी वाले गांवों में पूंजीगत लागत के लिए 5% अंशदान नकद और या सामान या श्रम में करना है और अन्य गांवों के मामले में इसी तरह पूंजीगत लागत का 10% योगदान करना है। जल आपूर्ति योजना शुरू करने के लिए कम से कम 80 प्रतिशत परिवार से सामुदायिक अंशदान की रजामंदी पूर्वापेक्षित है। तथापि, ग्राम पंचायत और/या इनकी उप-समितियां उन गरीब, दुर्बल, दिव्यांगजन या विधवा लोगों को व्यक्तिगत अंशदान करने से छूट देने पर विचार कर सकती हैं, जिनकी आय का कोई निश्चित स्रोत नहीं होना है। इस संबंध में, समिति पाती है कि पूर्ववर्ती राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम में पूंजीगत लागत के लिए अनिवार्य सामुदायिक अंशदान की ऐसी कोई शर्त नहीं थी। समिति का सुविचारित मत है कि चूंकि ग्रामीण आबादी को पानी उपलब्ध कराना न केवल एक बुनियादी आवश्यकता है बल्कि भारत जैसे कल्याणकारी राज्य का एक अभिन्न कार्य भी है, इसलिए समुदाय द्वारा कोई भी अनिवार्य योगदान शायद हर घर को पानी कनेक्शन प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयासों को कमजोर करेगा। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण जनता की खराब आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए समिति सिफारिश करती है कि विभाग को जल आपूर्ति अवसंरचना और इससे संबंधित संसाधन के विकास के लिए पूंजीगत लागत के सामुदायिक अंशदान को माफ करने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। समिति चाहती है कि इस संबंध में विभाग द्वारा उठाए गए कदमों/पहलों से अवगत कराया जाए।

(सिफारिश क्रम संख्या-5)

<u>जापानी इंसेफेलाइटिस/एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम से प्रभावित आकांक्षी जिलों का कवरेज</u>

2.7 समिति नोट करती है कि नीति आयोग ने कम मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) वाले 117 जिलों को आकांक्षी जिलों के रूप में चिन्हित किया है। विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, 117 आकांक्षी जिलों के केवल 39.78% घरों में ही नल के पानी के कनेक्शन हैं। जबकि हरियाणा, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार और सिक्किम जैसे राज्यों ने अपने 85% से अधिक परिवारों को नल कनेक्शन के साथ आकांक्षी जिलों में कवर किया है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान,

झारखंड, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, केरल और असम जैसे राज्यो में 30% से कम घरेलू कवरेज है। समिति यह भी पाती है कि 5 राज्यों अर्थात असम, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के 61 जिले जापानी इंसेफेलाइटिस/एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम (जेई/एईएस) से प्रभावित हैं, जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है यह मुख्यतः बच्चों और युवा वयस्कों को प्रभावित करता है जिसके कारण गंभीर रुग्णता और मृत्यु हो सकती है। अभी तक इन जेई/एईएस से प्रभावित जिलों में केवल 40.43% घरों में नल के पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। इस प्रकार, निस्संदेह स्वच्छ जल आपूर्ति के दायरे में जेई-एईएस से प्रभावित आकांक्षी जिलों में और अधिक परिवारों को कवर करने की तत्काल आवश्यकता है। पिछड़े हुए जेई-एईएस से प्रभावित आकांक्षी जिलों में सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति में अंतर को पाटना और सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता के मामले में उन्हें देश के अन्य जिलों के बराबर लाना समय की मांग है। इसलिए समिति, विभाग को सभी लक्षित आकांक्षी जिलों और नल जल कनेक्शन वाले जेई/एईएस से प्रभावित जिलों के कवरेज के लिए संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने की सिफारिश करती है।

(सिफारिश क्रमांक 6)

जेजेएम के तहत पाइप लाइन डालने के बाद भी सड़क मरम्मत कार्य अधूरा

2.8 समिति को यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि जल जीवन मिशन (ग्रामीण) के तहत ग्रामीण जनता को सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पूरे देश में बड़े पैमाने पर पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा है। तथापि, समिति ने चिंता के साथ नोट किया कि कई राज्यों में पानी की पाइपलाइन बिछाने के बाद, संबंधित प्राधिकारियों की लापरवाही और उदासीन रवैये के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों सही रूप से ठीक या उनकी मरम्मत नहीं की जा रही है। क्षतिग्रस्त सड़कों को अक्सर मिट्टी से भर दिया जाता है या उन्हें उनके मूल स्वरूप में वापस लाने के बजाय खुला रखा जाता है। यह न केवल देखने में भद्दा लगता है बल्कि यात्रियों के लिए बाधाएं/परेशानियां भी पैदा करता है। ग्रामीणों को दिन-प्रतिदिन आवागमन की कठिनाई से लेकर दुर्घटनाओं के संभावित खतरे, विशेषकर रात में, जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए समिति विभाग से इस मामले को गंभीरता से लेने और संबंधित राज्यों/प्राधिकारियों को परामर्श जारी करने का आग्रह करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ठेकेदार/कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा पाइप लाइन डालने के तुरंत बाद क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत की जाए।

(सिफारिश क्रमांक 7)

दूषित जल आपूर्ति वाले ग्रामीण क्षेत्र

2.9 समिति नोट करती है कि देश में अभी भी 35370 ग्रामीण बस्तियां हैं जो जल प्रदूषण से प्रभावित हैं। इनमें से 1792 बस्तियां आर्सेनिक, 2064 फ्लोराइड, 20185 आयरन, 10356 लवणता, 765 नाइट्रेट और 208 भारी धातुओं से प्रभावित हैं। विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से पता चलता है कि 35,370 गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों में से केवल 2017 बस्तियों को सामुदायिक जल शोधन संयंत्रों (सीडब्ल्यूपीपी) के साथ कवर किया गया है, जो कि कुल गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों के 6% से भी कम है। यह बहुत ही दयनीय स्थिति को दर्शाता है और इन क्षेत्रों के लोग दूषित पानी पीने के लिए विवश हैं जो उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। समिति सीडब्ल्यूपीपी की स्थापना की प्रगति से भी संतुष्ट नहीं है क्योंकि यह सभी गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों में बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रही है, हालांकि सीडब्ल्यूपीपी में 32,271 (24.02.21 की स्थिति के अनुसार) से 26,198

(21.02.2022 की स्थिति के अनुसार) की काफी कमी आई है। इस प्रकार, योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने और सभी दूषित प्रभावित क्षेत्रों में सीडब्ल्यूपीपी की समय पर स्थापना सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता है, जब तक कि पाइप से पानी की आपूर्ति हर ग्रामीण घर/बस्तियों तक नहीं पहुंच जाती। इसलिए, समिति दृढ़ता से अनुशंसा करती है कि विभाग को राज्य सरकारों के परामर्श से सभी क्षेत्रों में निर्धारित समय सीमा के भीतर सीडब्ल्यूपीपी स्थापित करने के लिए एक आकस्मिक योजना तैयार करनी चाहिए। जब तक ऐसे सभी निवासियों को सीडब्ल्यूपीपी कवरेज के तहत लाया जाता है, तब तक सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल मोबाइल वाटर वैन/टैंकरों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकता है या निर्दिष्ट स्थानों पर छोटे जल शोधन डिस्पेंसर स्थापित किए जा सकते हैं।

(सिफारिश क्रमांक 8)

<u>जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं</u>

2.10 समिति नोट करती है कि जल परीक्षण प्रयोगशालाएं पेयजल आपूर्ति संयंत्रों के कामकाज के उन्नयन और सुधार तथा उनके सुदृढ़ीकरण को सक्षम बनाने के अलावा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में घरों में गुणवत्तापूर्ण पेयजल की आपूर्ति की उचित निगरानी में सहायता और सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। विभाग की सूचना के अनुसार, अब तक, विभिन्न स्तरों पर 2021 पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएँ हैं अर्थात राज्य स्तर पर 28, जिला स्तर पर 659, ब्लॉक स्तर पर 89, उप-मंडल स्तर पर 1181 और 64 मोबाइल प्रयोगशालाएँ हैं। हालांकि, आंकड़ों की संवीक्षा करने पर, समिति ने पाया कि पिछले दो वर्षों के दौरान जल परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या में 10% से अधिक की कमी आई है। समिति इस बात से परेशान है कि पूरे देश में केवल छह राज्यों गुजरात, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, पंजाब, तमिलनाडु और त्रिपुरा में ब्लॉक स्तर पर जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। समिति ने अपनी रिपोर्टों में ग्रामीण आबादी को गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अधिक से अधिक जल परीक्षण प्रयोगशालाओं की आवश्यकता पर लगातार बल दिया है। हालांकि, समिति इस बात से हैरान है कि पिछले दो वर्षों में जल परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की संख्या बढ़ने के बजाय घटती जा रही है। समिति परीक्षण प्रयोगशालाओं में कमी के पीछे के कारण को समझने में असमर्थ है, जबकि पानी के संदूषित होने की समस्या बढ़ती जा रही है क्योंकि इसने अप्रत्यक्ष रूप से देश के ग्रामीण आर्थिक विकास को प्रभावित किया है। इसलिए, समिति इस मुद्दे को अत्यंत तत्परता से संबोधित करते हुए युद्ध स्तर पर देश भर में जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं को बढ़ाने की पुरजोर सिफारिश करती है।

(सिफारिश क्रमांक 9)

<u>एनएबीएल से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं</u>

2.11 समिति यह भी नोट करती है कि देश में परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं से मान्यता प्राप्त जल गुणवत्ता प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष 70 की तुलना में देश में वर्तमान में 444 एनएबीएल मान्यता प्राप्त जल गुणवत्ता प्रयोगशालाएं हैं। विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से पता चलता है कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों में 50 प्रतिशत से अधिक प्रयोगशालाएं एनएबीएल से मान्यता प्राप्त हैं। हालांकि, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और तमिलनाडु जैसे कुछ बड़े राज्यों में अभी भी एनएबीएल के अंतर्गत मान्यता प्राप्त कुल प्रयोगशालाओं की संख्या 10% से भी कम है। समिति ने एनएबीएल मान्यता के लिए विभाग द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए

यह महसूस करती है कि इस दिशा में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इसलिए समिति देश में सभी जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं को एनएबीएल से मान्यता प्राप्त करने की आवश्यकता को दृढ़ता से महसूस करती है। उन्होंने विभाग से सभी प्रयोगशालाओं की मान्यता प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर एक निश्चित समय अवधि के भीतर तेज करने का आग्रह किया।

(सिफारिश क्रमांक 10)

<u>सामाजिक लेखा परीक्षा प्रणाली</u>

2.12 समिति महसूस करती है कि एसबीएम (जी) के कामकाज के संबंध में उचित निगरानी और जमीनी स्तर पर पारदर्शिता बढ़ाने वाले किसी भी तंत्र को प्रोत्साहित करने और गंभीरता से लागू करने की आवश्यकता है। इस संबंध में समिति नोट करती है कि दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में छह माह में एक बार सामाजिक लेखापरीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। ग्राम पंचायतें कार्यक्रम की सामाजिक लेखा परीक्षा आयोजित करने में सहायता करेंगी और इस अनुसूची का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिले और ब्लॉक जिम्मेदार होंगे। समिति को इस बात से अवगत कराया जाता है कि समय-समय पर जारी की गई सामाजिक लेखा परीक्षा पर नियमावली को एसबीएम (जी) के तहत सामाजिक लेखा परीक्षा आयोजित करते समय संदर्भित किया जाना है। इसके अलावा, समिति को यह भी बताया गया है कि मणिपुर, मेघालय, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे कुछ राज्यों ने कुछ गांवों में सामाजिक लेखा परीक्षा की है। तथापि, विभाग ने अन्य राज्यों द्वारा अक्षरशः सामाजिक लेखापरीक्षा न कराए जाने के कारणों का विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। समिति का सुविचारित मत है कि हर छह महीने में एक बार सामाजिक लेखापरीक्षा किए जाने संबंधी दिशा-निर्देशों का ऐसा गैर अनुपालन योजना के उस महत्वपूर्ण पहलू की घोर अवहेलना के समान है जिसका उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है। इसलिए, समिति की सिफारिश है कि यह उचित समय है कि सभी ग्राम पंचायत स्तरों पर एक नियमित और आवधिक सामाजिक लेखा परीक्षा प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना जाए और योजना की बेहतर पारदर्शिता और विश्वसनीयता के लिए इसके निष्कर्षों को नियमित रूप से सार्वजनिक कार्यक्षेत्र में लाया जाए। समिति ने विभाग से आग्रह किया कि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नियमित अंतराल पर सामाजिक लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए आवश्यक सलाह जारी करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन हो।

(सिफारिश क्रमांक 11)

<u>तृतीय पक्ष निरीक्षण</u>

2.13 समिति ने नोट किया है कि जेजेएम के अंतर्गत, राज्य जल और स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम) ने कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निष्पादित कार्यों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए तृतीय पक्ष सत्यापन एजेंसियों को पैनल में रखा है। विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों से, समिति को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि 14 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने तीसरे पक्ष की निरीक्षण एजेंसियों के पैनल के विवरण की सूचना नहीं दी है। इसके अलावा, राज्यों द्वारा नियुक्त निरीक्षण एजेंसियों की संख्या राज्यों के आकार की तुलना में बहुत कम है। अत: समिति विभाग से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अधिक से अधिक तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसियों को सूचीबद्ध करने का निर्देश देने का आग्रह करती है, ताकि एजेंसियों द्वारा निष्पादित कार्यों की सत्यता का पता लगाया जा सके। समिति इस संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा डेटा की गैर-रिपोर्टिंग के कारणों से भी अवगत होना चाहेगी।

(सिफारिश क्रमांक 12)

<u>राजस्थान के गंगानगर जिले में पानी के दूषित होने का मामला</u>

2.14 पानी का दूषित होना एक गंभीर मुद्दा है क्योंकि इसका सीधा संबंध प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के स्वास्थ्य से है। समस्या बेहद चिंताजनक है क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में कैंसर के मामलों की संख्या खतरनाक रूप से बढ़ रही है। समिति ने अपनी पिछली रिपोर्टों में विशेष रूप से राजस्थान के गंगानगर जिले और उसके आसपास के क्षेत्रों में जल प्रदूषण के मुद्दे को भी रेखांकित किया और ग्रामीण बस्तियों में स्वच्छ एवं पीने योग्य पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर जल शोधन संयंत्र स्थापित करने के लिए समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने के लिए विभाग से राजस्थान राज्य सरकार के साथ मामला उठाने का आग्रह किया। तथापि, समिति इस बात को लेकर चिंतित है कि गंगानगर जिले में प्रभावित लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए इस दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। अतः समिति इस बात को दोहराती है कि विभाग को इस मामले को राजस्थान सरकार के साथ उच्चतम स्तर पर उठाना चाहिए, ताकि गंगानगर जिले के निवासियों को जल्द से जल्द स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा सके।

(सिफारिश क्रमांक 13)

<u>स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम-जी) के तहत निधियों का कम उपयोग</u>

2.15 समिति इस बात को नोट करके चिंतित है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान सं. अ. स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी) के लिए निधियों के आबंटन की प्रवृत्ति में लगातार गिरावट आई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, ब. अ. के चरण में 9994.10 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जिसे सं.अ. के चरण में घटाकर 6000 /- करोड़ रुपये कर दिया गया था, जबकि विभाग राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को केवल 2100 / - करोड़ रुपये की राशि जारी करने में सक्षम रहा है। विभाग ने कहा है कि राज्यों को उनकी मांगों, निधियों की उपलब्धता और राज्यों के कार्य-निष्पादन के आधार पर निधियां जारी की जाती हैं, हालांकि, कोविड-19 के कारण, राज्य चालू वित्त वर्ष के दौरान अनुमानित लक्ष्यों के अनुसार निधियों का उपयोग नहीं कर पाए हैं। समिति का विचार है कि सं. अ. स्तर पर आबंटनों में लगातार कमी और निधियों का कम उपयोग विभाग की ओर से व्यय प्रबंधन में शिथिलता के अलावा वित्तीय विवेक और आयोजना की कमी को दर्शाता है।निधियों की बार-बार कमी/कम उपयोग पर गंभीरता से विचार करते हुए समिति की इच्छा है कि विभाग को आबंटित निधियों का पूर्णरूपेण उपयोग करने के लिए राज्यों और कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ घनिष्ठ समन्वय और सहयोग से संगठित प्रयास करने चाहिए ताकि सं.अ. चरण में आबंटन में कमी की गुंजाइश को कम किया जा सके और मिशन के अंतर्गत लक्ष्यों को पूरी तरह से प्राप्त किया जा सके।

(सिफारिश क्रम संख्या- 14)

<u>एसबीएम (जी) के तहत यूनिट सहायता में वृद्धि</u>

2.16 समिति नोट करती है कि वर्तमान में एसबीएम (जी) के तहत शौचालयों के निर्माण के लिए गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर के चिन्हित परिवारों को 12,000/- रुपये का वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। समिति का यह सुविचारित मत है कि मौजूदा प्रति यूनिट सहायता पूरी तरह से अपर्याप्त है और शौचालयों के निर्माण की वास्तविक लागत के करीब कहीं नहीं है, भले ही कोई

लाभार्थी अपनी मेहनत से उसे बनाए। समिति का मत है कि शौचालयों की निर्माण सामग्री की बढ़ती लागत को ध्यान में रखते हुए प्रोत्साहन में समानुपातिक वृद्धि की जाए। अतः, समिति विभाग से यह पुरजोर सिफारिश करती है कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर के चिन्हित परिवारों के लिए शौचालयों के निर्माण हेतु प्रति यूनिट सहायता को 12,000/- रुपए की मौजूदा दर से बढ़ाकर 20,000/- रुपए करने की व्यवहार्यता पर विचार करे।

(सिफारिश क्रम संख्या- 15)

<u>ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एस एल *डब्ल्यू* एम)</u>

2.17 समिति नोट करती है कि ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) स्वच्छ गांवों के निर्माण में एसबीएम (जी) चरण-II के प्रमुख घटकों में से एक है। इस स्कीम के अंतर्गत, यह राज्यों का दायित्व है कि वे एसएलडब्ल्यूएम के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) हस्तक्षेपों को बढ़ावा दें ताकि समुदाय/ग्राम पंचायतों को ऐसी प्रणाली की मांग करने के लिए प्रेरित किया जा सके। राज्यों को पंचायतों को इस प्रणाली के संचालन और अनुरक्षण सुसज्जित करने के लिए क्षमता निर्माण भी प्रदान करना चाहिए। समिति नोट करती है कि वार्षिक कार्यान्वयन योजना (एआईपी) के अनुसार, वर्ष 2021-22 के दौरान, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) अवसंरचना के साथ 2,07,945 गांवों को कवर करने के लक्ष्य की तुलना में, केवल 46,347 गांवों को एसडब्ल्यूएम बुनियादी ढांचे के साथ कवर किया जा सका। इसी प्रकार, तरल अपशिष्ट प्रबंधन के साथ 1,82,517 गांवों को कवर किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन केवल 21,734 गांवों को ही एलडब्ल्यूएम अवसंरचना के साथ कवर किया गया। विभाग ने समिति को सूचित किया कि एसएलडब्ल्यूएम कार्यकलापों को शुरू करने में शामिल जटिलता के कारण अनुमानित लक्ष्यों को पूरा नहीं किया जा सका। समिति चाहती है कि उसे ग्रामीण गांवों में एसएलडब्ल्यूएम कार्यकलापों के निष्पादन में शामिल जटिलताओं और एसएलडब्ल्यूएम कार्यों को करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए विभाग द्वारा किए गए उपचारात्मक उपायों से अवगत कराया जाए ताकि इस योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

2.18 समिति विभाग से पूरे वर्ष कार्यशालाएं/जागरूकता अभियान शुरू करने का भी आग्रह करती है ताकि लोगों को अपने गांवों में एसएलडब्ल्यूएम अवसंरचना के निर्माण की मांग करने के लिए प्रेरित किया जा सके क्योंकि यह रोजगार के विशाल अवसर पैदा करने की क्षमता के अलावा ग्रामीण जनता की स्वच्छता / स्वास्थ्य से संबंधित है।

(सिफारिश क्रम संख्या- 16)

<u>सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) गांवों में योजनाओं का कार्यान्वयन</u>

2.19 समिति पाती है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) अक्तूबर, 2014 में शुरू की गई थी जिसमें सभी सांसदों को प्रत्येक वर्ष एक गांव को `आदर्श ग्राम` के रूप में बनाने के उद्देश्य से गोद लेना होता है। तदनुसार, सरकार ने राज्य सरकारों से विभिन्न चालू योजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन में एसएजीवाई गांवों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। समिति एसएजीवाई के अंतर्गत गोद लिए गए गांवों की दयनीय स्थिति पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करती है क्योंकि विकास योजनाओं, विशेषरूप से जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन के कार्यान्वयन में एसएजीवाई गांवों के लिए कोई प्राथमिकता नहीं दी गई है और इसके परिणामस्वरूप, एसएजीवाई के तहत गांवों का वादे के अनुसार समग्र विकास नहीं हो रहा है। अतः समिति विभाग से पुरजोर सिफारिश करती है कि वह एसएजीवाई गांवों में विभाग की दोनों प्रमुख योजनाओं का कार्यान्वयन सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित

करे और इस संबंध में राज्यों को आवश्यक निर्देश भी जारी करे। समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के तीन महीने के भीतर इस संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत कराया जा जाए।

(सिफारिश क्रम संख्या- 17)

संसद सदस्य की जानकारी और बढ़ी हुई भागीदारी

2.20 समिति के ध्यान में यह बात लाई गई है कि संबंधित जिलों के संसद सदस्यों को अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में पेयजल संबंधी निर्माण कार्यों/स्कीमों की आधारशिला रखने/उद्घाटन के समय संबंधित राज्यों द्वारा शामिल नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा, जब भी केंद्र/राज्य के नोडल अधिकारी योजना कार्यान्वयन प्राधिकारियों के साथ निरीक्षण/बैठक करते हैं, तो संसद सदस्यों को न तो आमंत्रित किया जाता है और न ही उन्हें कोई सूचना दी है । चूँकि, संसद सदस्यों के पास विशाल अनुभव होने के कारण ग्रामीण स्तर पर लोगों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं/मुद्दों के बारे में जानकारी होती है, इसलिए उन्हें योजनाओं के कार्यान्वयन के प्रत्येक चरण में, विशेषरूप से जेजेएम और एसबीएम (जी) में शामिल किया जाना चाहिए। समिति संसद सदस्यों को केन्द्रीय/राज्य टीमों के निरीक्षण के संबंध में सूचना न दिए जाने और उनके निर्वाचन क्षेत्रों में शुरू किए गए कार्यों के शिलान्यास/उद्घाटन में सदस्यों की सहभागिता न होने की जानकारी को गंभीरता से लेते हुए पुरजोर सिफारिश करती है कि विभाग को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) की तर्ज पर दिशा-निर्देश/अनुदेश तैयार करे, जिसके तहत किसी निर्वाचन क्षेत्र के सांसद को नए कार्यों / परियोजनाओं की आधारशिला रखने के कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाता है । समिति यह भी चाहती है कि सांसदों को उनके बहुमूल्य योगदान के लिए अपने जिले में योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए किए गए निरीक्षणों/बैठकों के बारे में हमेशा समय पर सूचित किया जाए।

(सिफारिश क्रम संख्या- 18)

नई दिल्ली
15 मार्च , 2022
24 फाल्गुन ,1943 (*शक*)

डॉ0 संजय जायसवाल,
सभापति ,
जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति

परिशिष्ट-एक

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की सोमवार, 21 फरवरी 2022 को हुई छठी बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक समिति कक्ष 'बी', भूतल, संसदीय सौध, नई दिल्ली में 1100 बजे से 1400 बजे तक हुई।

उपस्थित

डॉ. संजय जायसवाल - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री विजय बघेल
3. श्री भागीरथ चौधरी
4. इंजीनियर गुमान सिंह, दामोर
5. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत
6. डॉ. के. जयकुमार
7. श्री कुरुवा गोरांतला माधव
8. श्री निहाल चन्द चौहान
9. श्री चन्दन सिंह
10. श्री डी. के. सुरेश

राज्यसभा

11. श्री हर्षवर्धन सिंह डुंगरपुर
12. डा. किरोड़ी लाल मीणा
13. श्री सुभाष चन्द्र सिंह
14. श्री प्रदीप टम्टा

सचिवालय

1. श्री एम. के. मधुसुदन - संयुक्त सचिव
2. श्री खाखाई जाऊ - निदेशक
3. श्री आर.सी,शर्मा - अपर निदेशक

साक्षी

जल शक्ति मंत्रालय-पेयजल और स्वच्छता विभाग

1. सुश्री विनी महाजन सचिव
2. श्री अरुण बरोका अपर सचिव
3. श्री समीर कुमार संयुक्त सचिव

4. श्री मनोज सेठी जेएस एंड एफए
5. श्री प्रदीप सिंह निदेशक
6. श्री पी. विश्वकन्नन निदेशक
7. श्री युगल किशोर जोशी निदेशक

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने अनुदानों की मांगों (2022-23) की जांच के संबंध में जल शक्ति मंत्रालय - पेयजल और स्वच्छता विभाग के मौखिक साक्ष्य के लिए आयोजित समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया।

[तत्पश्चात, पेयजल और स्वच्छता विभाग के प्रतिनिधियों को बुलाया गया।]

3. पेयजल और स्वच्छता विभाग के प्रतिनिधियों का स्वागत करने के बाद, सभापति ने समिति की कार्यवाही की गोपनीयता के संबंध में अध्यक्ष के निदेश के निदेश 55(1) की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया। तत्पश्चात, सभापति ने प्रतिनिधियों से वित्त वर्ष 2022-23 के लिए विभाग को बजटीय आवंटन के संबंध में एक संक्षिप्त प्रस्तुति देने को कहा। तत्पश्चात, विभाग के प्रतिनिधियों ने अनुदानों की मांगों (2022-23)) के संदर्भ में विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही दोनों प्रमुख योजनाओं, अर्थात जल जीवन मिशन (जेजेएम) और स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी) की मुख्य विशेषताओं पर पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रकाश डाला।

4. विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुति देने के बाद, सदस्यों ने निम्नलिखित मुद्दे के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा:-

(एक) वर्ष 2022-23 में बढ़ाए गए बजटीय आवंटन के उपयोग के लिए किए जाने वाले प्रस्तावित उपाय।
(दो) जल उपलब्धता / जल संसाधनों की सततता।
(तीन) ग्राम कार्य योजनाओं (वीएपी) और ग्राम जल और स्वच्छता समितियों (वीडब्ल्यूएससी) के गठन/तैयारी से संबंधित मुद्दे।

(चार) जलापूर्ति की अवसंरचना और संबंधित स्रोत विकास के लिए पूंजीगत लागत के 5-10% सामुदायिक योगदान का मुद्दा।
(पांच) आकांक्षी/जेई/एईएस प्रभावित जिलों का कवरेज।
(छह) जल गुणवत्ता संबंधी मुद्दे और जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने की आवश्यकता।
(सात) राजस्थान में आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों का मुद्दा।
(आठ) ग्राम पंचायत स्तर पर जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण।
(नौ) गांवों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) गतिविधियों को क्रियान्वित करना।
(दस) 'स्वच्छता' के लिए गांवों में ग्रे-वाटर अपशिष्ट का निपटान।
(ग्यारह) निगरानी तंत्र का सुदृढ़ीकरण।

(बारह) एसएजीवाई गांवों में विभाग की दोनों योजनाओं को प्राथमिकता से लागू करना।
(तेरह) संसद सदस्यों को जानकारी और उनकी भागीदारी बढ़ाना।

5. तत्पश्चात, सभापति ने पेयजल और स्वच्छता विभाग के प्रतिनिधियों को उनके द्वारा दिए गए प्रस्तुतिकरण और सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए धन्यवाद किया। सभापति ने पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव को उन प्रश्नों के लिखित उत्तर सचिवालय को एक सप्ताह के भीतर देने के लिए कहा जिनका उत्तर नहीं दिया जा सका और जिन पर विस्तृत सांख्यिकीय उत्तरों की आवश्यकता है ।

[तत्पश्चात,साक्षी साक्ष्य देकर चले गए]

6. समिति की बैठक की कार्यवाही की शब्दशः रिकार्ड की एक प्रति रखी गई है।

तत्पश्चात,समति की बैठक स्थगित हुई।

परिशिष्ट- दो

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की गुरूवार, 15 मार्च, 2022 को हुई आठवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक 1430 बजे से 1500 बजे तक समिति कक्ष 'बी', भूतल, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

डॉ. संजय जायसवाल - सभापति

लोक सभा

2. श्री भागीरथ चौधरी
3. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत
4. डॉ. के. जयकुमार
5. श्री धनुष एम. कुमार
6. श्री कुरुवा गोरांतला माधव
7. श्री निहाल चन्द चौहान
8. श्री हँसमुखभाई एस. पटेल
9. श्री संजय काका पाटील
10. श्री पी. रविन्द्रनाथ
11. कुमारी अगाथा के. संगमा
12. श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी

राज्य सभा

13. श्री हर्षवर्धन सिंह डुंगरपुर
14. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा
15. श्री प्रदीप टम्टा

सचिवालय

1. श्री एम् के मधुसूदन - संयुक्त सचिव
2. श्री खखाइ जाऊ - निदेशक
3. श्री आर. सी. शर्मा - अपर निदेशक

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात, समिति ने (एक) जल शक्ति मंत्रालय (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) के अनुदानों की मांगों (2022-23) संबंधी प्रारूप प्रतिवेदन; और (दो) जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल और स्वच्छता विभाग) के अनुदानों की मांगों (2022-23) संबंधी प्रारूप प्रतिवेदन पर विचारार्थ चर्चा शुरू की। विचार-विमर्श के बाद समिति ने उक्त प्रारूप प्रतिवेदनों को बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया।

3. तत्पश्चात्, समिति ने अपनी ओर से इन प्रतिवेदनों को चालू बजट सत्र में संसद के दोनों ही सदनों में प्रस्तुत करने के लिए सभापति को प्राधिकृत किया।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

***